# लाल झण्डा

भारतीय मजदूर वर्ग का विचारधारात्मक हथियार

वर्ष : 1 अंक : 2 | अप्रैल 1991 | मूल्य : 3

भीतरी पन्नों में

1. दूर संचार; पर्यवेक्षक 2
2. भारत का आर्थिक मॉडल : रोजगार के बिना संवृद्धि··· —कृष्णन 5
3. अमरीकी खाड़ी युद्ध कुछ प्रासंगिक प्रश्न; —धुर्जटी प्रसाद बख्शी 7
4. टीका : औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार··· —स्वपन मुखर्जी 10
5. एक टिप्पणी : 1991 अंतरिम बजट 13
6. पूँजी के आक्रमण के खिलाफ··· 14
7. क्रान्तिकारी ट्रेड यूनियन आन्दोलन की ओर··· —वी० शंकर 15
8. कुछ और : तथ्य बोलते हैं, 17 एक नई परिस्थिति का सामना ···19

हिन्दी बंगला और तमिल में प्रकाशित द्विमासिक पत्रिका

सी. पी. आई. (एम-एल) के केन्द्रीय मजदूर वर्ग विभाग की ओर से, स्वपन मुखर्जी द्वारा 30, मीना बाग, नई दिल्ली-110011 (फोन : 3792655) से प्रकाशित व अशोक कम्पोजिंग एजेन्सी, दिल्ली-31, द्वारा आजाद प्रिंटर्स, दिल्ली-31 में मुद्रित।

## प्रधान सम्पादक की चिट्ठी

आशा है कि आप इस नये रूप में प्रकाशित "लाल झण्डा" के प्रथम अंक का अध्ययन कर चुके होंगे। दो माह बाद जब हम अगले अंक के प्रकाशन की तैयारी में जुटे हैं, इसी बीच अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य दोनों ही में महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित हुए हैं।

पिछले अंक के प्रकाशन के समय खाड़ी में अमरीकी आक्रमण की शुरुआत हुयी थी और उस समय हमने इस युद्ध पर अपनी बुनियादी समझ को सामने रखा था। इसी बीच खाड़ी युद्ध सद्दाम हुसैन की अपमान जनक हार के साथ समाप्त हो गया है, जो कि 'नयी विश्व व्यवस्था' के जार्ज बुश के सपने के साकार होने की तरफ पहला कदम है। साथ ही साथ यह घटना विश्व स्तर पर शक्तियों के अन्त: सम्बन्धों में परिवर्तन को अंजाम देगी। सम्पूर्णता में, साम्राज्यवाद खासकर आक्रामक अमरीका तथा तीसरी दुनिया के बीच तनाव और अधिक बढ़ेगा और यूरोप, जापान व अमरीका के बीच एक तरफ तथा समाजवादी देशों व पश्चिमी दुनिया के बीच सम्बन्धों में भी नये तनाव पैदा होंगे।

अपने देश में, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और बहुराष्ट्रीय निगमों के जरिये साम्राज्यवादी हस्तक्षेप निरन्तर बढ़ता जा रहा है और यह हमारे आर्थिक राजनीतिक जीवन पर असर डाल रहा है। अन्तरिम बजट, अगले बजट तक कामगार जनता के कन्धों पर शासक वर्ग और साम्राज्यवाद के भार को डाल देने की व्यवस्था भर है। पंजाब, असम और कश्मीर जैसी पेचीदा समस्याओं को जनवादी प्रक्रिया एवं राजनीतिक हल के जरिये सुलझाने के विपरीत राष्ट्रपति शासन को वृहत्तर करना, काले कानून और सैनिक कार्यवाही ही एकमात्र जबाव रह गया है। तिसखोरा हत्याकाण्ड, बिहटा में (दोनों बिहार में) दलित महिलाओं का बलात्कार, दमन के शिकार किसानों व खेत मजदूरों की बढ़ती हुयी चेतना को कुचल डालने के लिए नव जमींदारों, माफिया, प्रशासन गठजोड़ के उदय का प्रतीक है। और यह सब हुआ लालू यादव के बिहार में जो कि वी० पी० के सामाजिक न्याय के झण्डा बरदार है।

(पृष्ठ 20 पर देखिए)

# दूरसंचार

—पर्यवेक्षक

दूर-संचार संचार क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण अंश है तथा आधुनिक संसार में संचार व्यवस्था का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। भारत मे ब्रिटेन ने अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए दूरसंचार की शुरूआत की तथा ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाने के बाद से इसमें क्रमश: कई मौलिक परिवर्तन आ चुके हैं। इस समय इसमें आधुनिक तकनीक से युक्त विस्तृत संगठन तन्त्र का विकास हो चुका है। इसमें काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या चार लाख पचास हज़ार है।

**समकालीन औद्योगिक नीति तथा पुन: संरचना का प्रभाव :**

हाल में चली उदारीकरण की मुहिम की लपेट से यह क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। संगठित क्षेत्र के अन्य उद्योगों की तरह इसमें भी लाभ प्रयोजन (प्रोफ़िट मोटिव) ने कार्य दिशा के रूप में 'सेवा' को अपदस्थ कर दिया है। इस दिशा (अर्थात् मुनाफे के प्रयोजन) को लागू करने का मतलब है—इस क्षेत्र की सेवा की कीमत घटाना और इसकी श्रम-प्रधान प्रकृति को पूंजी प्रधान में तब्दील करना।

पहले चरण में डाक-संचार को दूर-संचार जिसमें मुख्यतया टेलीफोन और टेलिग्राफ हैं, से पृथक किया गया।

राजीव सरकार ने, पाश्चात्य दीक्षा प्राप्त तकनीकतंत्री सैम पित्रोदा को भारतीय दूर-संचार में 'क्रांति' की गति को तीव्रतर करने के लिए मंच पर उतारा। दूर-संचार विभाग की नौकरशाही के अलावा, सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में नीतिगत मामलों के लिए शीर्षस्थ संस्था के तौर पर दूर-संचार आयोग का गठन किया गया।

पित्रोदा के महत्त्वाकांक्षी दस-साला कार्यक्रम के अनुसार टेलिफ़ोन की मौजूदा 46 लाख लाइनों की जगह 2000 ई० तक दो चरणों में दो करोड़ लाईनें चालू हो जायेंगी। इस प्रोग्राम के दूसरे पहलू के तहत मौजूदा कर्मचारी-फ़ोन के अनुपात को 96 : 1000 से घटाकर 2000 ई० तक 25 : 1000 के अनुपात में ले आने का है। स्वाभाविक तौर पर, केन्द्रीकरण और पुन: संरचना के जरिये नियंत्रण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अधिक उच्च प्रविधि के निवेश के चलते पूंजी बहुलता श्रम की जगह ले लेगी।

इस कार्यक्रम के एक अंग के बतौर एक नया प्रयोग किया गया। महानगर टेलिफ़ोन निगम लिमिटेड (एम०टी०एन०एल०) दिल्ली और बम्बई में शुरू किया गया—इस उद्देश्य से कि क्रमश: दूसरे शहरों में इसका विस्तार किया जाएगा। वस्तुत: निगम के नाम पर यह निजीकरण है—इस क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश को लुभाने का प्रयास है। किंतु एम० एन० टी० एल० के कर्मचारी दूर-संचार विभाग के ही प्रतिनियुक्त कर्मचारी माने जाते हैं।

दूसरी ओर, दूर-संचार के उत्पादन विभाग में, अमरीकी ए टी एण्ड टी तथा फ्रांसिसी एल्क टेल-संचारक्षेत्र की दो विशाल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर निर्भरता दर्शाने के साथ-साथ निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मोदी ग्रुप तथा एल्केटेल ने सार्वजनिक क्षेत्र के आई० टी० आई० से प्रतियोगिता विकसित करने के नाम पर, एक विशाल एक्सचेंज विनिर्माण के लिए सह-योग-समझौते पर दस्तखत भी कर दिए हैं। दूसरी ओर आई० टी० आई० की मौजूदा 1981 की तकनीक की जगह इसी फ्रांसिसी कम्पनी की 87 की प्रविधि लेगी जबकि यही कम्पनी मोदी के सहयोग से 1990 की तकनीक का इस्तेमाल करके वह एक्सचेंज बनाएगी।

विश्व बैंक ने भी भारत को दूर-संचार के निजीकरण के लिए हिदायत जारी की है।

केबल डालने का काम भी निजी ठेकेदारों को दिया गया है।

**दूर-संचार में विभिन्न ट्रेड यूनियन प्रवृत्तियाँ**

नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलिकॉम एम्प्लाईज (एन० एफ० टी० ई०) का लम्बा संघर्षकारी इतिहास है तथा यह दूर-संचार कर्मचारियों के संघर्षों के मुख्य मंच की भूमिका अदा करता है। वामपंथी शक्तियाँ तथा जुझारू कर्मचारियों का काफी बड़ा हिस्सा इसी के अन्तर्गत गोलबन्द होता है। इसके नेतृत्व को मुख्यत: सी० पी० आई० नियन्त्रित करती है जबकि कुछ हल्कों में सी० पी० एम० की भी हिस्सेदारी है।

एफ० एन० टी० ओ० दूर-संचार क्षेत्र में कांग्रेस समर्थक यूनियन है। यह मुख्यत: एक प्रतिक्रियावादी ट्रेड यूनियन है जिसका सामाजिक आधार भी बहुत संकीर्ण है। किंतु एन० एफ०

टी० ई० में विरोधी भावनाओं की वजह से जनतांत्रिक शक्तियों का एक हिस्सा इसमें विद्यमान है।

भारतीय जनता पार्टी द्वारा गठित बी० टी० ई० एफ० अपेक्षाकृत नया उभरता संगठन है। इसका मुख्य आधार महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक सीमित है। इसने तकनीशियनों में अपना सामाजिक आधार विकसित किया है।

कुल मिलाकर निष्क्रिय ट्रेड यूनियन संस्कृति ही ट्रेड यूनियन नौकरशाही के हावी होने के साथ-साथ दूर-संचार क्षेत्र में व्याप्त है। इस दूर-संचार आंदोलन में संकीर्ण काडर भावना और काडर संगठन उभर रहे हैं।

**हाल की बीस दिनों की जद्दोजहद**

यह मुद्दा तब छिड़ा जब तत्कालीन राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के संचार मन्त्री ज्ञानेश्वर मिश्र ने महानगर टेलिफ़ोन निगम लिमिटेड के बम्बई और दिल्ली कर्मचारियों को सौ रुपये की राशि के तदर्थ (एडहौक) भुगतान की घोषणा की। प्रतिक्रिया-स्वरूप एन० एफ० टी० ई०, एफ० एन० टी० ओ० तथा बी० टी० ई० एफ० ने संयुक्तरूप से दावा किया कि चूंकि संपूर्ण दूर-संचार विभाग को एक नियन्त्रक कम्पनी के तहत चार-पाँच निगमों में रूपान्तरित करने का प्रस्ताव है अत: अतिरिक्त तदर्थ राशि दूर-संचार विभाग के सभी कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। मन्त्रालयों ने आर्थिक तंगी का तर्क देते हुए कर्मचारियों की मांग अस्वीकृत कर दी और बचन दिया कि निगमों में रूपान्तरण हो जाने पर मांग मान ली जाएगी।

परिणामस्वरूप समूचे देश में, इस पक्षपात की प्रतिक्रिया में तीन फेडेरेशनों के आह्वान पर तीन नवम्बर '90 से 'काम रोको' शुरू कर दिया गया।

नौकरशाह नेताओं की इच्छा से बे-असर, स्थानीय स्तर पर महिलाओं समेत आम कर्मचारियों की पहलकदमी क्रमिक रूप से विकसित होने लगी। कर्मचारियों की मानसिक तैयारी के अनुरूप, आंदोलन के अलग-अलग रूप अपनाए गए तथा घेराव, धरना और कहीं तो एक्सचेंज पर कब्ज़ा और नियन्त्रण भी।

किंतु ठोस परिस्थिति राजनीतिक उथल-पुथल से भरी हुई थी—भाजपा द्वारा समर्थन वापिस लिए जाने के बाद और चन्द्रशेखर तथा देवीलाल के नेतृत्व में जनता दल में हुई फूट के फलस्वरूप राष्ट्रीय मोर्चा सरकार आखिरी साँसें गिन रही थी। अत: मंत्री-मण्डल से अनुमति लेने का बुनियादी मुद्दा आसानी से हल नहीं हो पाया और आन्दोलन लंबा खिंच गया। 12 नवम्बर से लड़ाई अगले चरण में पहुंच गयी जब नेता मंडल मुख्यालयों पर भूख हड़ताल पर बैठ गए तथा विभिन्न इकाईयों से कर्मचारियों को भूख हड़ताल की जगहों पर गोलबन्द करके लाया जाने लगा।

इससे संचार सेवाओं को बहुत क्षति पहुँची। फलस्वरूप दूर-संचार कर्मचारियों को कई जगह क्रुद्ध जनता का सामना करना पड़ा और कई जगह प्रतिक्रियावादी शक्तियों द्वारा भड़कायी गई वारदातों का मुकाबला करना पड़ा जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के धरने आदि का विरोध। इरोडे तमिलनाडु में डाक-तार कर्मचारियों की बस्तियों में बिजली और पानी की आपूर्ति बन्द कर दी गई। दूसरी ओर कई औद्योगिक मज़दूरों ने, एकता का इज़हार करते हुए कर्मचारियों को स्वेच्छया पानी मुहय्या किया।

आंदोलन के पूरे दौर में सी० पी० एम० से जुड़े नेताओं ने निष्क्रियता दिखलायी और नेतृत्व को बेनकाब करने के नाम पर कर्मचारियों में पस्ती का ही संचार किया। कलकत्ता में पहले तीन दिन उन्होंने 'काम रोको' में शिरकत नहीं की और सांकेतिक प्रदर्शन करते रहे। 6 नवम्बर से लेकर वे 'काम रोको' में शरीक हुए।

खैर, जब राष्ट्रीय राजनीतिक हलचल ने एक नया मोड़ अख्तियार किया और चन्द्रशेखर सरकार कायम हुई तो यूनियन नेताओं ने नये संचार मन्त्री से समझौता वार्ता शुरू की जो लगभग एक सप्ताह चली तथा 22 नवम्बर 1990 को वे एक समझौते पर पहुँचे। यद्यपि सभी दूर-संचार विभाग कर्मचारियों को सौ रुपए देने की मुख्य मांग का समाधान नहीं हो पाया तथापि लम्बे अर्से से चली आ रही माँगों जैसे—बदला हुआ ओ० टी० भत्ता दर, काम की अवधि घटाने के सिलसिले में आरबिट्रेशन अवार्ड को लागू करने की सैद्धान्तिक तौर पर स्वीकृति, अनियमित कर्मचारियों को अस्थायी कर्मचारियों का दर्जा देने आदि और हड़ताल में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाई न करने की शर्त को स्वीकार कर लिया गया।

**कुछ सबक**

(1) इस लड़ाई को सौ रुपये या और अधिक राशि की लड़ाई के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए। इसमें वेतन की असमानता के खिलाफ किया गया प्रतिरोध का तत्व मौजूद था जिसका रुख समान-वेतन-नीति की ओर मोड़ा जाना चाहिए।

(2) इस घटना क्रम का यह सरलीकृत विश्लेषण कि 'राष्ट्रीय मोर्चा' सरकार को गिराने के उद्देश्य से संकट पैदा करने का षडयन्त्र करने के लिए यूनियन नेताओं ने आन्दोलन चलाया था' स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए तथा निरन्तर किए जा रहे पुनर्गठन के नतीजों के विरोध में आम कर्मचारियों की वस्तुगत भावनाओं का सही-सही आकलन किया जाना चाहिए।

(3) नीति निर्धारण के स्तर पर मुकाबला करने के लिए ट्रेड यूनियन एकता की प्रभावशाली भूमिका होती है जिसे विशिष्ट परिस्थिति में कायम किया जा सकता है।

(4) पुनर्गठन की प्रक्रिया से पैदा हुए अधिकारियों के आपसी विरोधों का अध्ययन किया जाना चाहिए और ट्रेड यूनियन आंदोलन के हित में उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए; मगर साथ ही, अधिकारियों के एक तबके के हाथों आंदोलन के इस्तेमाल कर लिये जाने के खतरे से बचना चाहिए।

(5) सेवा-क्षेत्र के आंदोलन के दौर में लड़ाई के उचित रूपों का विकास तथा अतिरिक्त पहलकदमियों की ज़रूरत होती है जिससे जनता के विभिन्न तबकों का समर्थन जुटाया जा सकता है।

(6) जहाँ तक आंदोलन के लिए सही समय के चुनाव का सवाल है तो वहाँ गुण और अवगुण दोनों मौजूद हैं। शासक वर्ग के गम्भीर राजनीतिक संकट के परिप्रेक्ष्य में देखा जाये तो समय एकदम माकूल था। दूसरी ओर, उन दिनों सरकार निर्णय लेने में असमर्थ थी अत: आंदोलन जिसका समापन समझौते द्वारा ही हो सकता था वह एक तरह से अपना असर खोने लगता है। अत: इन स्थितियों में चरम आंदोलनात्मक रूप के बिना और नयी सरकार का अथवा पुरानी सरकार की वापसी का इन्तज़ार करते हुए कर्मचारियों को गोलबन्द करना, जुझारू आंदोलन के लिए कूद पड़ना उचित कार्यनीति नहीं ठहरायी जा सकती।

समझौते की दूसरी शर्त के मुताबिक, सरकार ने अफ़सरों से ठसी हुई एक उच्चाधिकार समिति की नियुक्ति की है जिसका काम देशभर की दूर-संचार सेवा में प्रबन्ध के लिए उपयुक्त प्रशासनिक/आपरेशनल संगठन सम्बन्धी सिफ़ारिशें ढाई महीने के अन्दर पेश करना है। यदि फैसला निगमीय ढाँचे के हक में होता है तो सभी कर्मचारियों को 10. 12. 90 से 1001 प्रतिमाह आन्तरिम भुगतान किया जाएगा न कि 1. 9. 90 से (जबकि महानगर टेलिफ़ोन निगम के कर्मचारियों को 1. 9. 90 से यही राशि दी गई है।)

स्पष्ट है कि दूर-संचार कर्मचारियों का संघर्ष नई मंज़िल पर पहुँच गया है जहाँ वह इस क्षेत्र की कुल संरचना के निर्धारण की प्रक्रिया में दखल करने में समर्थ है। दूर-संचार सेवा के पुनर्गठन की प्रक्रिया और कर्मचारियों की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप दूर-संचार के अधिकारी वर्ग में आपसी विरोध और ध्रुवीकरण सघन हो गये हैं। शीर्षस्थ संस्था अर्थात् दूर-संचार आयोग में जिसका अध्यक्ष पित्रोदा है, दो बराबर फाकें हो गई हैं (4:4)।

अधिकारियों का एक तबका निगम समर्थक है तथा इस तबके के तर्क हैं—प्रबन्धदक्षता, गुणवत्ता और प्रतिभा। दूसरा तबका सरकारी विशेषाधिकार तथा अनुभव के नाम पर विभाग-समर्थक है। पहला तबका निजीकरण की दिशा में पुनर्गठन के हक में है और दूसरा तबका यथास्थिति और प्रशासनिक नियंत्रण के हक में हैं। उच्चाधिकारी समिति की नियुक्ति दरअसल इस लड़ाई में युद्धविराम ही है।

वस्तुगत तौर पर दूर-संचार क्षेत्र जोकि शासक वर्ग की जीवन धमनी है तथा राष्ट्रीय मंडी के आंतरिक सम्बन्ध की प्रभावशाली कड़ी है संरचनात्मक संकट से गुज़र रहा है। इसके द्वारा किए जाने वाला सेवाकार्य माँग की तुलना में पिछड़ा हुआ है (पिछले दस साल से टेलिफ़ोन लगाने के लिए 10 लाख आवेदन प्रतीक्षा सूची में है)। इसकी प्रविधि और काम की अनेक शिकायतें हैं।

दूसरी ओर महानगर टेलिफोन निगम का गत पाँच साल का प्रयोग न तो सेवा और न ही राजस्व प्राप्ति के मामले में तसल्ली बख्श रहा है। निजी पूँजी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हितों का निसंकोच संवर्धन और संरक्षण तथा श्रमशक्ति में भारी कटौती और ठेके पर काम करवाने की कोशिश ही इस प्रयोग का कुल नतीजा है।

ट्रेड यूनियन नेतृत्व, दूर-संचार के पुनर्गठन को लेकर झगड़ रहे अधिकारियों के एक तबके का कमोवेश साथ दे रहा है। यहाँ तक कि परम्परागत वाम शक्तियाँ भी व्यावहारिकता की दुहाई दे रही हैं। एक तबका निगम की वकालत इस लिए कर रहा है कि इससे सार्वजनिक क्षेत्र और दूर-संचार कर्मचारियों का वेतन समान स्तरपर आ जायगा। जबकि दूसरा हिस्सा निगम विरोधी और विभाग समर्थक है मगर निगम के समान स्तर पर वेतन की मांग कर रहा है। अत: अवसरवादी नेतृत्व तात्कालिक आर्थिक लाभ से ही सरोकार रखता है।

दूर-संचार क्षेत्र की जटिल स्थितियों में निहित समस्या को तह तक जाकर पकड़ना होगा और निगम बनाम विभाग की बहस को उच्चतर स्तर पर विकसित करना चाहिए। किसी भी उद्योग के पुनर्गठन की कुल दिशा और रूपरेखा के सिलसिले में विचार और कार्य की दिशा भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योग नीति के समग्र परिप्रेक्ष्य तथा मज़दूर वर्ग के वास्तविक हितों के संरक्षण और संवर्धन के नज़रिये से ही तय हो सकती है। इस प्रसंग में हमारी समझ यों होनी चाहिए :

(1) दूर-संचार क्षेत्र में लाभप्रयोजन की जगह सेवा का लक्ष्य स्थापित होना चाहिए।

(ठ) तमाम तरह के नौकरशाहीकरण और निजीकरण का विरोध होना चाहिए।

(3) सभी स्तरों पर कर्मचारियों की प्रभावशाली भूमिका

के साथ प्रबन्धन में जनवादीकरण लागू होना चाहिए तथा उपभोक्ताओं और जनता द्वारा देखरेख स्थापित होनी चाहिए।

(4) तकनीक सम्बन्धी एक नई नीति विकसित होनी चाहिए जिसके तहत स्थानीय और विदेशी तकनीक को परस्पर जोड़ा जाना चाहिए (बहुराष्ट्रीय कम्पनीयों के हितपोषण और साम्राज्यवाद नियन्त्रित अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के फरमान मानने वाली नहीं।)

(5) सेवा-शर्तों में सुधार और नौकरी के अवसरों को सुरक्षित रखने तथा विस्तृत करने तथा ठेका प्रथा और अनियमित मज़दूरी को ख़त्म करने के उद्देश्य से काडर पुनर्गठन।

(6) समान वेतन नीति की दिशा में वेतन समानता की गारंटी करना तथा कर्मचारियों के राजनीतिक हितों को सुनिश्चित करना।

यथास्थिति की वकालत करने में कोई तुक नहीं है। किंतु हमें उपयुक्त समझ की रोशनी में लागू किए जा रहे पुनर्गठन में अन्तर्निहित अभिप्राय को देखना होगा।

सभी प्रकार के व्यवहारवाद का मुकाबिला करो और इस समझ के आधार पर दूर-संचार क्षेत्र में नई रुझान स्थापित करने का प्रयास करो!

× ——————×—————— ×

भारत का आर्थिक मॉडल :

# रोज़गार के बिना संवृद्धि—भारतीय सर्वहारा को गम्भीर चुनौती

कृष्णन

1980 के दशक से ही, भारतीय शासक वर्ग की इच्छानुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण पर जोर रहा है। इन्दिरा शासन के अन्तिम भाग में उदारीकरण शुरू हुआ; राजीव काल में इसे पूर्ण आकार प्रदान किया गया; वी० पी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने इस प्रवृत्ति को सुदृढ़ किया और चन्द्रशेखर को इस प्रक्रिया का अनुसरण करना ही था। 'उदारीकरण' के भारतीय संस्करण के विशिष्ट लक्षण यूं हैं :—

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रभुत्व वाली इमदादी अर्थव्यवस्था और जन कल्याणवाद पर से बल हटा कर इज़ारेदारी और बहुराष्ट्रीय पूंजी की उन्मुक्त घुसपैठ तथा आर्थिक इमदाद और कल्याणवाद में भारी कटौती पर बल देना; सार्वजनिक अथवा सरकारी क्षेत्र में इजारेदारी और बहुराष्ट्रीय पूंजी के हितों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ निजीकरण को बढ़ावा देना।

(ख) परम्परागत लघु और असंगठित क्षेत्र तथा बीमार उद्योगों को नष्ट करना एवं आनुषांगिक-सहायक उद्योगों, उपठेकेदारी प्रथा और निर्यातोन्मुखी संवृद्धि को सुनिश्चित करने वाले नए तरह के लघु तथा मध्यम उद्योगों को विस्तृत करना।

(ग) विदेश व्यापार में निरन्तर घाटे, दीर्घ काल से चले आ रहे बजट-घाटे के साथ-साथ भुगतान-शेष में बढ़ोत्तरी से पैदा हुए अभाव की पूर्ति के लिए ऊंचे ब्याज दर वाले अंतर्राष्ट्रीय ऋण में वृद्धि।

(घ) राज्य द्वारा औद्योगिक इज़ारेदारी के पक्ष में मूल्य निर्धारण के चलते कृषि और औद्योगिक उत्पादों में तथा औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में गैर-बराबरी भरा व्यापार।

(च) वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अन्य सुविधाओं को जाम करने के प्रयास और लगातार बढ़ती हुई महंगाई।

स्वाभाविक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इस प्रवृत्ति पर निरन्तर जोर देने के कारण पूंजी का विकृत विकास होगा तथा उत्पादक शक्तियों की कीमत पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का वर्चस्व सुनिश्चित होता जायेगा।

रोजगार प्रदान करने वाले सबसे बड़े क्षेत्र-सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्र की रोजगार प्रदान करने की क्षमता सिकुड़ती जायेगी (श्रम में कटौती और भर्ती पर पाबन्दी की वजह से)

परम्परागत असंगठित क्षेत्र और बीमार उद्योगों के श्रमिकों की एक बड़ी तादात को रोजगार छीन कर बेरोजगारों की सुरक्षित फौज में शामिल कर लिया जाएगा।

बड़ी संख्या में श्रमिक लाचारी में नव विकसित लघु उद्योग और असंगठित क्षेत्र तथा 'आधुनिक' कृषि क्षेत्र में अपनी श्रम शक्ति बेचने पर मजबूर किये जायेंगे। श्रमिकों में इलाकों की विभिन्नता के अनुसार वेतन की असमानता बनी रहेगी और मेहनतकशों का जीवन स्तर गिरता जायेगा।

प्रासंगिक तथ्यों और आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है :—

···1988 में विनिर्माण क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योग 26.5 प्रतिशत रहा (जबकि 1955 में 15.25 प्रतिशत था); सेवा क्षेत्र का योग दान '55 में 28.3 प्रतिशत था जबकि '88 में बढ़कर 35.77 प्रतिशत हो गया। किंतु रोजगार में हिस्सेदारी का अनुपात इस पूरी अवधि में वही बना रहा।

···रोजगार में वृद्धि की दर, सन् 1973 से 88 तक के 15 सालों में कृषि क्षेत्र में 2.50 प्रतिशत से घट कर 0.65 प्रतिशत हो गई, विनिर्माण उद्योग में 5.10 प्रतिशत से गिरकर 2.10 पर आ गई। विद्युत, गैस और तेल आपूर्ति में तेज गिरावट हुई—12.23 प्रतिशत से 4.64 प्रतिशत तक; परिवहन, भंडारण (स्टोरेज) और संचार में 2.5 प्रतिशत पर अवरुद्ध है। केवल निर्माण में रोजगार में वृद्धि दिखाई देती है।

···संगठित क्षेत्र कुल रोजगार के 10 प्रतिशत का ही प्रतिनिधित्व करता है। संगठित क्षेत्र में 1987-88 में 257.5 लाख व्यक्तियों के पास रोजगार था (सार्वजनिक क्षेत्र में 183.2 लाख तथा निजी क्षेत्र में 73.91 लाख; महिला कर्मचारी—34.4 लाख थीं।) संगठित क्षेत्र में कुल जमा रोजगार—वृद्धि के आंकड़े गिरावट की प्रवृत्ति की सूचना देते हैं—1978-83 की अवधि में 2.4 प्रतिशत से 1983-87 के काल में 1.36 प्रतिशत।

···असंगठित क्षेत्र 90 प्रतिशत रोजगार का प्रतिनिधित्व करता है। रोजगार वृद्धि अधिकांशतः असंगठित क्षेत्र में सीमाबद्ध हैं—कम भत्ते वाले अनौपचारिक क्षेत्र और ज्यादातर गैर—जिन्स उत्पादक क्षेत्र के विनिर्माण क्षेत्र में 1988 में असंगठित रोजगार कुल का 76 प्रतिशत था; निर्माण में 86 प्रतिशत था; तथा, परिवहन, भंडारण और संचार में 51 प्रतिशत था। 1983-88 की अवधि में अनियमित मजदूरों की संख्या 23 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत हो गई, स्वरोजगार मजदूर 61 प्रतिशत से घट कर 56 प्रतिशत तथा नियमित वैतनिक मजदूर 13 प्रतिशत पर अटके रहे।

इसके विपरीत पूंजी संचय में निरन्तर वृद्धि हुई है। 1973 में सकल स्वदेशी उत्पादन (जी० डी० पी०) के 15.9 प्रतिशत से बढ़कर सकल स्वदेशी पूंजी 1989 में सकल स्वदेशी उत्पादन की 24.47 प्रतिशत हो गई।

पूंजी संचय में औसत वृद्धि इस तरह है :—

| | |
|---|---|
| 1976-80 की अवधि में— | 2,000 करोड़ रुपये |
| 1981-84 की अवधि में— | 5,000 करोड़ रुपये |
| 1985-87 की अवधि में— | 7,000 करोड़ रुपये |

किन्तु रोजगार वृद्धि की दर 1 प्रतिशत की तुलना में, उत्पादन वृद्धि के आंकड़े यों हैं :—

| | |
|---|---|
| 1951-'56 में | 1.04 प्रतिशत |
| 1972-'78 में | 1.96 प्रतिशत |
| 1978-'83 में | 2.44 प्रतिशत |
| 1983-'87 में | 3.57 प्रतिशत |

···1951 में बेरोजगारी 33 लाख थी, 1971 में 137 लाख, 1985 में 262.70 लाख और 31 मई 1990 में 333.53 लाख तक पहुंच गई (ये आंकड़े रोजगार दफ्तर में पंजीकरण पर आधारित हैं)। जनकल्याण मन्त्री की टिप्पणी के अनुसार आर्थिक रूप से सक्रिय 51 करोड़ जनसंख्या में केवल 23 करोड़ ही रोजगार शुदा हैं (इसमें 1 करोड़ 70 लाख बाल श्रमिकों को शामिल नहीं किया गया, जो कि सबसे कम मजदूरी पाते हैं और राष्ट्रीय आय में 20 प्रतिशत का योगदान करते हैं)।

···भारतीय शासक वर्ग ने 1980-89 के नौ वर्षों में 6245 विदेशी सहयोगों पर दस्तखत किये हैं। यह संख्या 1947-80 के 33 वर्षों के 6024 सहयोगों को पार कर चुकी है।

···अगस्त 1990 के सी० एम० आई० ई० की रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक एक मजदूर की औसत सालाना आय इस प्रकार है :—

| | | |
|---|---|---|
| (i) संगठित क्षेत्र | सार्वजनिक क्षेत्र | —10643/— |
| | निजी क्षेत्र | —11,289/— |
| (ii) असंगठित क्षेत्र | खेती | — 1,708/ |
| | अन्य | —4.871/— |
| (iii) स्वरोजगार | किसान | — 3,000/— |
| | अन्य | —5,066/— |

···निर्यातोन्मुखी संवृद्धि के मिथक के प्रचार के बावजूद हकीकत यह है कि विदेश व्यापार पिछले 40 सालों में 2 प्रतिशत से घट कर 0.25 प्रतिशत रह गया है।

···एक ताजातरीन खोज ने यह स्पष्ट किया है कि हाल के तीन वर्षों में देश की 50 प्रतिशत जनसंख्या मंहगाई के दबाव में गरीबी रेखा के नीचे आ गई है।

यह बहुप्रचारित 'उदारीकरण' की क्रूर वास्तविकता और सारतत्व है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में इजारेदारी पूंजी तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की वृद्धि और सुदृढ़ता रोजगार की वृद्धि के अनुपात में विपरीत दिशा में विकसित हो रही है। अतः आज दीर्घकाल से चल रही बेरोजगारी भारतीय मजदूर वर्ग को आतंकित किये हुए है। नौकरी की सुरक्षा का अभाव, कार्य भार में बढ़ोत्तरी, सस्ती मजदूरी तथा संगठित क्षेत्र से काम को अनौपचारिक क्षेत्र

में डालना आदि इस प्रक्रिया के स्वाभाविक आनुषांगिक परिणाम हैं।

इस वस्तुगत पृष्ठ भूमि में, राजीव हटाओ आंदोलन के दौरान 'काम के बुनियादी अधिकार' का सवाल स्वाभाविक नारे के तौर पर उभरा। वी० पी० सिंह के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय मोर्चे और उसके वामपंथी सहयोगियों ने इसे लागू करने का वचन भी दिया था। मगर, विश्वनाथ प्रताप की सरकार ने इस बुनियादी सवाल से किनारा करके विवादास्पद मंडल आयोग का झंडा उठा दिया। चन्द्रशेखर के शासन काल में योजना आयोग के नव-नियुक्त उपाध्यक्ष ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि वर्तमान आर्थिक स्थिति में इसे बुनियादी अधिकार बनाना सम्भव नहीं है। परम्परागत वामपन्थियों ने काम के अधिकार' पर चन्द समारोह-पूर्ण सम्मेलन करने तक अपने को सीमित रखा है।

भारतीय सर्वहारा को इस परिस्थिति की गम्भीरता समझ कर वक्त की मांग के मुताबिक तैयार हो जाना चाहिए। शासक वर्ग के संकट का उपयोग करते हुए, सर्वहारा को आर्थिक और औद्योगिक नीति के खिलाफ आक्रामक अभियान छेड़ देना चाहिए। रोजगार और नौकरी की सुरक्षा के बुनियादी सवाल पर होने वाले पूंजी के आक्रमण का भरपूर प्रतिरोध होना चाहिए। चाहे कम्प्यूटरों के अंधाधुंध इस्मेमाल की बात हो या फिर छटनी. कार्यभार की बढ़ोत्तरी, काम को स्थानांतरित करना। वेतनमान अथवा श्रम शक्ति को कम कीमत पर बेचना—इन सबका प्रतिरोध जरूरी है। प्रतिरोध की प्रक्रिया में, सरकार को अपनी नीति बदलने को बाध्य करने वाली ऊपर से की गई पहलकदमी के साथ पूंजी द्वारा किये जा रहे हमले के विरुद्ध स्थानीय जन-सक्रियता को जोड़ना होगा।

भारतीय मजदूर वर्ग को इस नई चुनौती का सामना करने के लिए 'काम का बुनियादी अधिकार' का नारा सही कार्य दिशा प्रदान करेगा।

**जन-प्रतिरोध**

रेलवे कार्यशालाओं में काम को निजी ठेकेदारों को देना अब आम बात हो गई है। हाल ही में बम्बई की माटुंगा कार्यशाला में टाईर कोच में बदलने के 22 लाख रु० के काम को निजी ठेके-दारों के दे दिया गया।

आई० पी० एफ० के सांसद श्री रामेश्वर प्रसाद ने लोक सभा में इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया। इस पर बहस नहीं होने दी गई। किंतु रेलमंत्री ने लिखित जवाब में इस तथ्य को स्वीकार किया और 'तात्कालिक आवश्यकता' की ओट में इसे उचित ठहराया। किंतु माटुंगा के व्यापक कर्मचारी बहुत उत्ते-जित हो गये तथा उन्होंने इसका प्रतिरोध करने का संकल्प कर लिया। उन्होंने ठेकेदारों के आदमियों को, कोचों को कार्यशाला से बाहर ले जाने से बलपूर्वक रोक दिया। ए०आई०आर०एफ० से सम्बद्ध यूनियनों के नेतृत्व को इस आंदोलन के बारे में जान-कारी दे दी गई।

मैनेजमेंट ने इसे सम्मान का प्रश्न बनाकर इस काम को पश्चिम रेलवे की ही अन्य कार्यशाला का सौंपने का निर्णय कर लिया। किंतु इस कार्यशाला के कर्मचारियों ने माटुंगा के संघर्ष-रत कर्मचारियों के साथ अपनी एकता भावना का इज़हार करते हुए इस काम को अपनाने से इन्कार कर दिया।

अन्तत: मैनेजमैंट ठेके को रद्द करने और उसे माटुंगा कार्य-शाला के कर्मचारियों को सौंपने पर मजबूर हुआ।

× —— × —— ×

**अन्तर्राष्ट्रीय**

# अमरीकी खाड़ी युद्ध : कुछ प्रासंगिक प्रश्न

—धुर्जटी प्रसाद बक्सी

अमरीका द्वारा खाड़ी पर आक्रमण और उससे उत्पन्न परि-णामों को विश्व देख ही चुका है। इस आक्रमण का केन्द्र सद्दाम शासित इराक था। अमरीका का फौरी लक्ष्य, यू० एन० ओ० की स्वीकृति के ठप्पे के साथ कुवैत को "मुक्त" कराना था। तथा रणनीतिक लक्ष्य, बुश के अनुसार ही "नई विश्व व्यवस्था" कायम करना है। बुश ने इस असमान युद्ध में अत्याधुनिक, कम्प्यूटराश्रित सैन्य शक्ति की प्रलयक्षमता को बेहिचक प्रदर्शित किया। अमरीका प्रकट और ढंके हुए सभी तरह के सैनिक गठबन्धनों को गोलबन्द करके 30 पश्चिमी और विकासशील देशों की बहु-राष्ट्रीय सेना उतराने में सफल भी हुआ।

विश्व के प्रधान अन्तर्विरोध याने साम्राज्यवाद और तीसरी दुनिया के बीच के अन्तर्विरोध के सन्दर्भ में—अमरीकी हमले का भरपूर विरोध की हमारी पार्टी की नीति सुविदित है। किन्तु मौजूदा जटिल विश्व-परिदृश्य में खाड़ी संकट अन्य अनेक घटकों से जुड़ा है अत: मजदूर वर्ग तथा निचली वामपंथी कतारों में भ्रम और अन्तर्विरोध कायम हैं। इन प्रासंगिक सवालों पर विचार करना लाज़मी है।

हम युद्ध के अन्तर्निहित स्वरूप को कैसे समझें ?

प्रथमतः, हाल के खाड़ी युद्ध को, वर्तमान विश्व की अर्थ-व्यवस्था और राजनीति को प्रतिबिम्बित कर रहे दर्पण के तौर पर समझा जा सकता है। कामरेड विनोद मिश्र द्वारा किये गये विश्लेषण के अनुसार "यह युद्ध विश्व के आज के अन्तर्विरोधों और साथ ही गठबन्धनों का प्रतिबिम्बन है। तथा यह ताकतों के आपसी सम्बन्धों में होने वाली तब्दीली का माध्यम भी है।"

लम्बे अर्से बाद अमरीका के फतेहयाफ्ता हमले और सद्दाम की अपमानजनक शिकस्त को दुनिया के पैमाने पर ताकतों के मौजूदा गठबन्धन से काटकर विश्लेषित नहीं किया जा सकता। निश्चय ही, युद्ध के तात्कालिक परिणाम ने शक्तियों के आपसी सम्बन्धों में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया को तीव्रतर कर दिया है।

दूसरे, इस युद्ध ने शीत युद्ध और शान्ति वर्षा के मिथक पर से पर्दा हटा दिया है और लेनिनवादी सिद्धान्त को पुख्ता किया है :

साम्राज्यवाद का अर्थ है युद्ध। जब तक साम्राज्यवाद का अस्तित्व कायम है शान्ति केवल दो युद्धों के बीच का अवकाश-मात्र है।

क्या हम पूंजी की इज़ारेदारी के आधार पर 'वित्तीय पूँजी' से रहित साम्राज्यवाद का कल्पना कर सकते हैं वित्तीय पूंजी का अर्थ है कि पूंजी का निर्यात होना तथा पूंजी के निर्यात के लक्ष्य अधिलाभ (सुपर प्रोफ़िट) और पूंजी का अतिरिक्त संचय ही होता है। विश्व के असमान विकास के नियम के साथ-साथ पूँजी के निर्यात से स्वाभाविक रूप से जुड़ा प्रश्न प्रभावक्षेत्र और दबदबे को लेकर विवाद और युद्ध भी होंगे। दबदबे के विवाद की तार्किक परिणति युद्ध है।

यह सच है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद, सुधार कार्यक्रमों द्वारा तथा तकनीक के क्षेत्र में हुई क्रान्ति के लाभ उठाकर, साम्राज्यवाद के नये आयाम प्रकट हुए हैं। इनसे साम्राज्यवादी कार्रवाईयों में परिष्कार की गुंजाइश बढ़ी है। जन प्रतिरोध तथा प्रतिकूल शक्ति सन्तुलन की परिस्थितियों में साम्राज्यवाद को पीछे हटना पड़ सकता है। किन्तु इससे वित्तीय पूंजी का मूलभूत चरित्र नहीं बदलता (अर्थात् उच्चतर सावयविक संरचना की ओर अग्रसर होना) और इसीलिए यह युद्ध की सम्भावनाओं को दर किनार नहीं कर सकती।

माओ ने क्लाज़ विट्ज़ को उद्धृत करते हुए कहा था, लेनिन कहते हैं "युद्ध दूसरे जरियों से राजनीतिक का ही सिलसिला है।" शान्तिकाल में चलने वाला संघर्ष राजनीति है, इसी तरह युद्ध में किन्तु साधनों की विशिष्टता के साथ राजनीति ही होती है। युद्ध और शान्ति परस्पर पूरक तथा अन्त:सम्बद्ध हैं तथा विशेष परिस्थितियों में एक दूसरे में तब्दील किये जा सकते हैं। यदि शान्तिकाल में युद्ध की प्रक्रिया चल न रही हो तो अचानक युद्ध क्यों फूट पड़ता है ? और यदि युद्ध काल में शान्ति की प्रक्रिया मौजूद न हो तो सहसा शान्ति क्यों छा जाती है ?"

अत: साम्राज्यवाद का अर्थ है—या तो राजनीतिक पहल-क़दमियों की शक्ल में रक्तहीन संघर्ष अथवा लूट और दबदबे के लिए युद्ध के रूप में रक्त रंजित द्वन्द्व।

तीसरे, इससे अमरीका सहित पश्चिमी समाज की वास्तविक गत्यात्मकता बढ़ते हुए युद्ध विरोधी शान्ति आंदोलन के रूप में उद्घाटित हुई। इन विकसित देशों में भी श्रमिक वर्ग की ऐतिहासिक प्रासंगिकता भी प्रकट हुई क्योंकि इस वर्ग ने युद्ध के सक्रिय विरोध में भागीदारी निभायी।

चौथे, परम्परागत भारतीय वामपन्थी हिन्दुस्तानी शासक वर्ग के जिस तटस्थ चरित्र की वकालत करते हैं उस तटस्थता का भ्रम भी चकनाचूर हो गया। तथा इस युद्ध ने पूँजीवाद बनाम समाजवाद को विश्व के प्रधान अन्तर्विरोध के तौर पर पेश करने के प्रयास को गलत साबित कर दिया।

× × × क्या खड़ी युद्ध के बारे में हमारा नज़रिया अधिभूतवादी और सद्दाम के प्रति पूर्वाग्रह भरा था ?

हमारे मत का लुब्बो लबाब यह था कि ईराक की क्षेत्रीय दबदबा कायम करने की प्रवृत्ति और कुवैत को कब्ज़ा कर लेने को खण्डित तरीके से न देखें बल्कि विश्व में शक्तियों के मौजूदा आपसी सम्बन्धों के सन्दर्भ में संयुक्त राज्य अमरीका के हमले के स्वर को समझें।

अमरीका तेल भंडारण के बूते पर बनी कुछ खाड़ी देशों की सौदा क्षमता को खत्म करने के लिए व्याकुल था। विश्व पूंजीवाद के कुल हित के लिहाज़ से भी इसकी जरूरत थी। मध्य पूर्व के तेल-संसाधनों पर अपना दबदबा कायम करने में अमरीका के लिए सद्दाम के नेतृत्व वाला इराक वस्तुत: रास्ते का रोड़ा बना हुआ था। अत: इसको रास्ते से हटाना अमरीका के लिए स्वाभाविक था। क्योंकि यह काम राजनीतिक साधनों से सम्भव नहीं ही पा रहा था—युद्ध अपरिहार्य बन चुका था। इराक द्वारा कुवैत पर कब्ज़े से अमरीका को हमले के लिए बहाना मिल गया। अन्यथा अमरीका को अन्य बहाने खोजने पड़ते। यह खाड़ी युद्ध का सार है।

हमने इराक द्वारा कुवैत पर कब्ज़े को कभी भी सही नहीं ठहराया। किन्तु फ़िलिस्तीनी जनता के राष्ट्रीय मुक्ति के सवाल समेत हम सदा खाड़ी समस्याओं के तीसरी दुनिया द्वारा समाधान की वकालत करते रहे हैं। हमने मध्य-पूर्वके आन्तरिक मामलों में अमरीका द्वारा 'अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस' के बतौर दखल देने की भूमिका का विरोध किया।

अत: 15 जनवरी 1991 के पश्चात् किसी भी ओट में

अमरीकी हमला खाड़ी घटनाचक्र का मुख्य पहलू बन गया।

स्वभावत: हमारे नज़रिये में अमरीकी नेतृत्व वाली बहुराष्ट्रीय सेना के हमले का पूरे-पन से विरोध और फलत: उस ठोस परिस्थिति में हमले के विरुद्ध वास्तविक प्रतिरोध (प्रतिरोध के वर्ग चरित्र से निरपेक्ष) का प्रतीक बने सद्दाम के समर्थन पर ज़ोर है।

अत: हमारा मत कभी भी अधिभूतवादी नहीं रहा, बल्कि हमने द्वन्द्वात्मक पद्धति से ठोस बलाघाती नुक्ते को थामा। इराक द्वारा कुवैत पर कब्ज़ा जमाने का विरोध करके अमरीका-विरोध को सन्तुलित करने अथवा उसकी क्षतिपूर्ति करने का प्रयास दरअसल संकलन वृत्ति है तथा इससे अमरीकी हमले का औचित्य ही स्थापित होता है। यह प्रवृत्ति साम्राज्यवाद और तीसरी दुनिया तथा तीसरी दुनिया के अन्दरूनी तनावों को अलगा कर देख पाने में असमर्थ है।

× × × क्या खाड़ी युद्ध के मामले में सोवियत और चीन की भूमिका के सिलसिले में हमारी राय मुख्यत: आलोचना परक तो नहीं थी ? क्या यह मत 'सन्तुलित और जिम्मेदार सम्मति' का शिकार तो नहीं थी ?

हमने निसंकोच यह विश्लेषण किया कि सोवियत भूमिका अमरीकी शतरंजी योजना से स्वतन्त्र नहीं हो पाई और चीन की निष्क्रिय भूमिका रही। किंतु हम अमरीकी आक्रमण और रूस तथा चीन की नकारात्मक भूमिका को समान स्तर पर रखने के किसी भी प्रयास का विरोध करते है।

जैसा कि कामरेड विनोद मिश्र ने कहा 'अत्यधिक आलोचना-परक होने' अथवा 'उत्तरदायित्वपूर्ण मत बनाने के प्रश्न का तात्त्विक महत्व नहीं है। घटनाक्रम को समझने और उसके वस्तु-निष्ठ विश्लेषण का तात्विक महत्व है।

पहली पाली में अमरीकी आक्रमण को निर्विरोध निष्कंटक बनाने में इन वस्तुगत कारणों की भूमिका रही है—समाजवाद का संकट, समाजवादी गुट का ढहना और वारसा सन्धि का टूटना बड़ी शक्ति के तौर पर अमरीका का मुकाबला करने में रूस का पीछे हट जाना, रूस का साम्राज्यवाद और तीसरी दुनिया के विकास के बारे में सिद्धान्त, पश्चिम से रिश्तों का गाढ़ा होना; चीन द्वारा नेतृत्वकारी भूमिका में आने और रूस को स्थानापन करने में दिलचस्पी का अभाव, पश्चिम के विरोध की धार के पैनेपन का ख़ात्मा और राष्ट्रीय निर्माण में ही रुचि।

रूस द्वारा आखिरी क्षणों में शान्ति प्रयासों ने इराक के आत्म समर्पण को अन्जाम दिया और अमीरीकी हमले पहले से ज्यादा पुरज़ोर हो गये।

किन्तु तीसरी दुनिया के देश के रूप में चीन ने रूस से अपने को अलग रखा और सुरक्षा परिषद् में मतदान से बाहर रहा।

कामरेड विनोद मिश्र के मत में, "मेरे विचार में सम्बन्धों के बदलते हुए प्रतिरूपों पर नज़र रखना महत्त्वपूर्ण है···युद्ध ने असली सोवियतों को उद्घाटित किया है। दूसरी ओर युद्ध के उपरान्त नया सरोकार दिखाई दे रहा है तथा अमरीका से चल रही शान्ति क्रमश: रिश्तों के तनाव में बदल सकती है ···। मुझे पक्का विश्वास है कि इस सिलसिले में चीन ही नहीं बल्कि अन्य कई देशों में अमरीका की 'नई विश्वव्यवस्था' की धमकी से गहरी चिन्ता व्याप्त है तथा युद्ध ने हर जगह पुनर्विचार की नई लहरें पैदा की हैं। नए सम्बन्धों की शक्ल साफ होने में कुछ समय लगेगा।'

कोई भी रूस और चीन के बारे में आलोचनात्मक होने को इच्छानुसार स्वतन्त्र है। इस तरह की आलोचना अक्सर लोगों को ग्राह्य भी होती है। किन्तु यह नुकसानदेह है क्योंकि यह तथ्यानुसारी न होकर अधिक कूतने और फतवेबाजी को प्रदर्शित करता है तथा अक्सर इसकी परिणति 'समाजवाद' के बारे में पस्ती में होती है।

क्या खाड़ी युद्ध एकल (अथवा एक केन्द्रीय) साम्राज्यवाद की शुरुआत है ? हर साम्राज्यवादी खेमें में द्वन्द्व और गठबन्धन अन्त: सम्बद्ध पहलू हैं ; साम्राज्यवाद के अस्तित्व की शर्त के तौर पर ही गठबन्धन अनिवार्यत: सापेक्ष, स्थितिबद्ध और अस्थायी होता है। खाड़ी युद्ध कोई अपवाद नहीं है। इस युद्ध से साम्राज्यवादी खेमे के गठबन्धन और अमरीकी नेतृत्व की स्वीकृति ज़ाहिर होती है। मौजूदा विश्व पूंजीवाद बहुकेन्द्रीय है—अमरीका, जापान और युरोप उसके केन्द्र हैं। नया गठबन्धन बहुकेन्द्रीयता को नष्ट करके नहीं उभरा। पूर्वी युरोप में समाजवाद का ध्वन्स तथा युरोप के साथ जुड़ने की भावना, एकीकृत जर्मनी का उभरना, तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार युद्ध में जापान और जर्मनी का प्रभुत्व आदि ने विश्व पूंजीवाद की बहुकेन्द्रीयता को पुष्ट ही किया है।

तेल संकट पर काबू पाने के सांझे तात्कालिक हित की वजह से गठबन्धन कारगर हो पाया। जापान और जर्मनी ने युद्ध में अपनी शिरकत का इस्तेमाल क्रमिक सैन्यीकरण को स्वाभाविक बनाने में किया। किन्तु इस गठबन्धन के भीतर ही तनाव के बीज मौजूद हैं तथा अमरीका की 'नई विश्व व्यवस्था' कायम करने की योजना इन तनावों को सघन बनाएगी। एक तीसरी दुनिया के देश पर सैनिक धावा बोलने के लिए बने गठबन्धन की परिणति साम्राज्यवादी खेमे के अन्दर प्रभुत्वकायम करने के लिए तीखे द्वन्द्व में होगी। अत: विश्व इतिहास का जायज़ा चन्द महीनों में नहीं अपितु वर्षों अथवा दशकों में ही मुमकिन होता है।

× × × वर्तमान साम्राज्यवादी आक्रमण के सन्दर्भ में

भारत के श्रमिक वर्ग की क्या भूमिका होनी चाहिए ?

अमरीका का खाड़ी युद्ध नयी हमलावरी की शुरुआत है और यह अपने तार्किक मार्ग का अनुसरण करेगी। भारत अपवाद नहीं है। हमारे आर्थिक और राजनीतिक जीवन में बहु राष्ट्रीय कम्पनियों और साम्राज्यवाद द्वारा लूट के उद्देश्य से किये जाने वाले हस्तक्षेप की दो टूक खबर भारत की विदेश नीति और आर्थिक नीति से ही मिल जाती है। अतः साम्राज्यवाद और युद्ध का विरोध भारत के लिए अमूर्त्त अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्य न होकर राष्ट्रीय हितों को सुनिश्चित करने का ठोस जिम्मा है। इस समय भारतीय जन के विभिन्न तबकों की साम्राज्यवाद विरोधी चेतना जागृत करने का काफी मौका भी है। किन्तु इस लक्ष्य को साधने के लिए भारतीय हुक्मरानों के बारे में कायम 'तटस्थता' की गलतफ़हमी को तोड़ना लाज़मी है। साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए, परम्परागत वामपंथी कांग्रेस (आई) समेत शासक वर्ग के इस या उस हिस्से पर आस जमाये हुए हैं।

अतः भारतीय श्रमिक वर्ग की जिम्मेदारी है कि साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष का स्वतन्त्र झण्डा बुलन्द करने के लिए विचारधारात्मक अभियान चलाये। उसे जनता में वास्तविक साम्राज्यवाद विरोधी भावना का प्रचार करना चाहिए। साम्राज्यवाद, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा हस्तक्षेप की मिसालों, जिनके द्वारा वे, भारतीय शासकों के साथ मिलकर अपने बोझ को भारतीय जनता पर लाद रहे हैं के विरुद्ध, मेहनतकश वर्ग को सृजनात्मक ढंग से विभिन्न कार्यवाहीयां संगठित करनी चाहिए।

---

टीका

## औद्योगिक सम्धन्धों में सुधार हेतु नवीनतम प्रस्ताव
## नई-बातल में पुरानी-शराब

—स्वपन मुखर्ज

बढ़ती जा रही श्रमिक-अशान्ति को म-द्देनज़र रखते हुए ट्रेड-यूनियन एक्ट 1926 (टी० यू० एक्ट 1926) और औद्योगिक विवाद एक्ट 1947 (आई० डी० एक्ट 1947) को लागू करने के नाम पर ब्रिटिश-औपनिवेशिक-शासन थोप दिया गया था। यह "औद्योगिक-सम्बन्धों" को एक कानूनी-शक्ल देने का प्रयास था, ताकि मजदूरों को सन्तुष्ट किया जा सके और उनके संघर्ष को एक विशेष ढाँचे में ढाला जा सके।

लेकिन पिछले 60 वर्षों के दौरान, विशेष तौर पर ब्रिटिश काल के बाद के चार दशकों में श्रम और पूँजी के बीच के सम्बन्धों ने बहु-आयामी जटिल रूप धारण कर लिया है। इसका कारण भारत के औद्योगीकरण की विभिन्न अवस्थाओं के साथ जुड़ी पूँजी-निर्माण व पुर्नसंरचना की जटिल बनावट और विभिन्न परिवर्तनों के साथ मजदूर वर्ग के आन्दोलन का प्रभाव है।

स्वाभाविक तौर पर, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और आई० डी० एक्ट 1947 इस बदली हुई औद्योगिक परिस्थिति में पूँजी व श्रम के बीच के विरोध का निपटारा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

मजदूर-वर्ग के हित के नजरिये से :

(क) यूनियन की मान्यता का प्रश्न अभी भी अनसुलझा रहा हुआ है। (ख) आई० डी० एक्ट 1947के अनुसार विवादों को सुलझाने के तीन चरण कमोवेश बेअसरदार ही रहे। कॉन-सीलेशन चरण तक में विवाद की संख्या 60 वें दशक में 7000 प्रति वर्ष से बढ़कर 80वें दशक में 15000 प्रति वर्ष हो गयी है। दूसरा-चरण यानी ऑरबिटेशन वास्तव में कभी होता ही नहीं है। सन् 1983 में, मात्र 0.7 प्रतिशत विवाद ऑरबिटेशन के लिये भेजे गये थे। एंडजूडिकेशन के लिये भेजे गये विवादों की संख्या 60वें दशक में 4000 प्रति वर्ष से बढ़ कर 80वें दशक में 10,000 प्रति वर्ष हो गयी है। जो कुछ विवाद यहाँ से निपटे भी वे फैसले के लिये ऊपर की अदालतों में लटके पड़े हैं। (ग) आई० डी० एक्ट 1947 गैर-कानूनी तालाबन्दी या काम-बन्दी पर तो रोक लगा नहीं सकी, जो कि पूँजी के आक्रमण का एक असरदार हथियार बन गया है, लेकिन इस आक्रमण के खिलाफ हड़ताल के हथियार के इस्तेमाल पर रोक लगाता है। इसके अलावा आई० डी० एक्ट तीसरी पार्टी यानी सरकार की निष्पक्षता पर निर्भर करता है। जो कि आज की व्यवस्था में निरर्थक है, क्योंकि यह मालिकों के हक में जाने के लिये बाध्य है।

पूँजी के हित के नजरिये से, कानूनों का वर्तमान ढेर एक ओर विशेष सुविधा प्राप्त एक छोटे से हिस्से को अपने अन्दर समा लेने के लिये, और दूसरी ओर श्रम-शक्ति के क्रूर विनाश या घटाने, काम के बोझ को बढ़ाने और मजदूरी व अन्य सुविधाओं को जाम करने के खिलाफ बहु-संख्यक मजदूर-वर्ग द्वारा पुर-जोर धावा बोल देने के प्रयत्नों को हतोत्साहित करने के लिये अपर्याप्त है।

लेकिन औद्योगिक-सम्बन्धों की पुर्नसंरचना का प्रश्न नया नहीं

है, बल्कि 50 वें दशक से ही टी० यू० और आई० डी० एक्ट में संशाधन करने के कई प्रयत्न किये गये। इच्छित परिवर्तन को सूत्रबद्ध करने के लिये विभिन्न कमीशन और कमेटियां बनाई गयी। लेकिन व्यवहार के धरातल पर कोई भी ठोस प्रस्ताव मूर्त रूप धारण न कर सका।

आइये काल क्रम में इन प्रस्तावों पर एक नजर डालें :

**1. वी० वी० गिरी की सिफारिशें (1952)**

दो बिल तैयार किये गये। इनका सार था, विवादों को सुलझाने में तीसरे पक्ष के रूप में सरकार की भूमिका को वापस करना, और मजदूरों एवं मालिकों के बीच सीधे सौदे-बाजी को बढ़ावा देना। इसका विभिन्न पक्षों ने विरोध किया जिससे इन बिलों को एक तरफ कर दिया गया।

**2. गजेन्द्र गडकर, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें :—**

मुख्य सिफारिशें ये थीं :—

(i) विवादों को सुलझाने के लिए मजदूरों व मैनेजमेंट के बीच सीधे समझौतों को वरियता दी जानी चाहिये।

(ii) इस प्रकार के सम्बन्धों के विकास के लिये कानून में सुधार किया जाना चाहिए, ताकि यूनियनों को मान्यता देना जरूरी हो जाए।

(iii) जब समझौता व कॉनसीलेशन दोनों ही नाकाम हो जायें तो मजदूर व मैनेजमेंट को सीधी कार्यवाही करने से पहले एक माह का समय दिया जाना चाहिए।

(iv) सीधी कार्यवाही के लिए उपलब्ध तमाम अवसरों को परख लेने के बाद ही विवादों को अडजूडीकेशन के लिए भेजने के बारे में सोचा जाना चाहिये।

(v) सन् 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने सामूहिक सौदे-बाजी के लिये ट्रेड-यूनियनों को मान्यता देने के लिए मालिकों को बाध्य करने, व ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रेशन को सीमित करने के लिए एक उद्यम के कम से कम 10 प्रतिशत्त मजदूरों पर नियन्त्रण होना, इन दो प्रमुख सिफारिशों के साथ एक बिल पेश किया, लेकिन जनता पार्टी की सरकार के गिर जाने के साथ ही इस प्रयास को भी त्याग दिया गया।

**4. सनत-मेहता कमेटी (1982) की सिफारिशें**

(i) सीधी कार्यवाही का कदम उठाने से पहिले ट्रेड यूनियनों को मतदान कराना होगा व बहुमत की सहमति हासिल करनी होगी, यदि कोई ट्रेड यूनियन इस मानदण्ड की अवहेलना करती है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा।

(ii) यदि सौदा बाजी फेल हो जाती है तो मालिकों को तालाबन्दी की इजाजत होगी।

(iii) मालिकों को सौदाबाजी करने के लिये बहुमत वाली यूनियन को मान्यता देना जरूरी होगा। मजदूरों को अपनी ट्रेड-यूनियन वफादारी व अपनी सदस्यता फीस वेतन-बिल से ही कटवा लेने की प्रार्थना मालिक को लिखित में करनी होगी।

(iv) अडजूडिकेशन व कॉनसीलेशन को लेबर-डिपार्टमेंट से अलग कर एक स्वतंत्र औद्योगिक-सम्बन्ध-आयोग को सौंप देना चाहिये।

इन सिफारिशों के भाव को लेकर राजीव-सरकार ने टी० यू० और आई० डी० एक्ट में संशोधन करने हेतु 1987 में संसद में एक बिल पेश किया। अनिवार्यतः प्रस्तावित संशोधन का लक्ष्य हड़ताल के अधिकार सहित तमाम ट्रेड-यूनियन अधिकारों का का हनन करना था। स्वाभाविक तौर पर भारतीय मजदूर वर्ग (इंटक को छोड़कर) द्वारा इस बिल का तीव्र विरोध किया गया और राजीव सरकार को मजबूरन बिल को वापस लेना पड़ा।

राजीव सरकार की समाप्ती के बाद, वी० पी० सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने इस संशोधन को अस्वीकार कर दिया। और नये औद्योगिक सम्बन्धों के लिए प्रयास करने के लक्ष्य से इंटक के प्रेजीडेट रामानुजम के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की। हाल ही में रामानुजम कमेटी ने अपनी सिफारिशें पेश कर दी हैं, जो निम्नांकित हैं :—

**टी० यू० एक्ट 1926 केबारे में**

(i) एक प्रतिष्ठान की कुल श्रम-शक्ति के 10 प्रति० से अधिक पर नियन्त्रण होना ट्रेड-यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए न्यूनतम माप दण्ड होना चाहिए।

(ii) शिल्प, जाति धर्म एवं मत पर आधारित यूनियन का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता है।

(iii) सदस्यता की जांच करने के लिए जांच-प्रणाली चालू की जानी चाहिए यानी प्रत्येक मजदूर को अपनी ट्रेड यूनियन वफादारी व अपनी सदस्यता-फीस को वेतन बिल से ही कटवा लेने के लिए मालिक को लिखित में सूचित करना चाहिए। सदस्यता तीन वर्ष के लिए नहीं ली जा सकती है। साथ में मजदूर की ओर से किसी दूसरी यूनियन में सम्मलित न होने की पाबंदी होनी आवश्यक है।

(iv) पदाधिकारियों का चुनाव प्रतिवर्ष होना चाहिए।

(v) कोई भी यूनियन अपनी कार्यकारिण समिति में दी से अधिक बाहरी लोगों को नहीं रख सकती है। और को भी

बाहरी आदमी सात साल से अधिक पदाधिकारी नहीं रह सकता है।

(vi) मंत्रियों को यूनियनों का पदाधिकारी नहीं होना चाहिए।

(vii) यदि कोई यूनियन गैर-कानूनी हड़ताल करती है तो छः महिने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा।

**आई० डी० एक्ट 1947 के विषय में :—**

(i) एक्ट का नाम बदल कर औद्योगिक-सम्बन्ध एक्ट कर कर दिया जायेगा।

(ii) प्रत्येक मालिक को एक सौदाबाजी-परिषद का गठन करना आवश्यक है जिसमें प्रत्येक रजिस्ट्रड ट्रेड यूनियन का उसकी सदस्यता के अनुपात में प्रतिनिधित्व होगा। सभी यूनियनों को सौदाबाजी एजेन्ट कहा जाएगा और 40 प्रति० से अधिक सदस्यता वाली यूनियन को प्रमुख सौदाबाजी एजेन्ट कहा जायेगा।

(iii) एक हड़ताल केवल तभी करवाई जा सकती है जब उसके लिए मतदान कराया जा चुका हो और इसके लिए 75% मजदूरों का समर्थन प्राप्त हो। गैर-कानूनी हड़ताल या तालाबन्दी के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।

(iv) सरकार द्वारा कॉनसीलेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी साथ ही सरकार को अडजूडीकेशन के लिए भेज देने का भी अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में, एक औद्योगिक सम्बन्ध आयोग की स्थापना की जायेगी। इसके सदस्य न्याय-पालिका, औद्योगिक विशेषज्ञों, मजदूरों और मैनेजमेंट से लिए जायेंगे। यह आयोग वर्तमान कॉनसीलेशन या अडजूडिकेशन प्रक्रिया का स्थान नहीं लेगा, बल्कि औद्योगिक ट्रिबुनल के विकल्प के रूप में कार्य करेगा। ट्रेड यूनियनों के आपसी विवाद भी इसके कार्यक्षेत्र में होंगे।

**हमारा-प्रस्ताव**

हम यथा-स्थितिवादी नहीं हैं। और टी० यू० एक्ट 1926 आई० डी० एक्ट 1947 में किसी प्रकार के सुधार करने के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक तौर पर कोई विरोध भी नहीं हो सकता है, लेकिन निर्णायक प्रश्न यह है कि सुधार पूँजी के हित में हैं या मजदूरों के हित में ? रामानुजम कमेटी की रिपोर्ट में और राजीव सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों में—जो कि वर्तमान स्थिति में बड़ी पूँजी के हित से अधिक मेल खाते हैं, कोई आधारभूत अन्तर नहीं है।

मजदूरों के ट्रेड-यूनियन अधिकारों की रक्षा करने तथा उन्हें और भी अधिक व्यापक बनाने, खासकर अनऔपचारिक सेक्टर, बीमार व बन्द उद्योगों में, के उद्देश्य से हमें अवश्य ही नए औद्योगिक सम्बन्धों पर चल रहे विवादों और बहसों में हस्तक्षेप करना चाहिए। हमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर ज़ोर देना चाहिए।

(1) ट्रेड-यूनियन मान्यता के लिए चेक-ऑफ प्रणाली का विरोध करना तथा मान्यता के सवाल को हल करने के लिए गुप्त मतदान को एक मात्र तरीके के रूप में लागू करना।

(2) अपने नेता का चुनाव करने अथवा किसी भी यूनियन के साथ अपनी सम्बद्धता की इच्छा के उसके अधिकार में किसी भी किस्म की कटौती न हो।

(3) हड़ताल समेत-आन्दोलन चलाने के मज़दूर के अधिकार में कटौती के हर प्रयास का विरोध करना।

(4) हड़ताल और तालाबन्दी के एक ही श्रेणी में रखने के हर प्रयास का विरोध होना चाहिए। जबकि तालाबन्दी मजदूरों को भूखों मारने और बेरोज़गार करने का पूँजीपतियों का एक आक्रमक हथियार है, हड़ताल ढीठ मालिक से मजदूरों की न्याय-पूर्ण मांगों को मनवाने के लिए संगठित की जाती है। इसलिए, तालाबन्दी के ज़रिए मालिक द्वारा मजदूरों को डराने धमकाने पर साफ-साफ रोक लगनी चाहिए (मालिकों को जोड़-तोड़ के अवसर दिए बिना)।

(5) "स्वतंत्र" विशेषज्ञ तथा "निस्पक्ष" सरकार के मिथकों का पूरी तरह से पर्दाफाश किया जाना चाहिए। समझौतों (कन्सीलियशन) व एडजुडीकेशन की वर्तमान प्रणाली को लाल-फीताशाही से मुक्त करने के लिए उसे बुनियादी रूप से सरलीकृत किया जाना चाहिए और उसे मज़दूरों के प्रभावशाली निरीक्षण के तहत लाया जाना चाहिये। किसी भी अतिरिक्त संस्था मसलन, औद्योगिक सम्बन्ध कमीशन को लाये जाने के मामले में, मजदूरों का प्रतिनिधित्व बहुमत में होना चाहिए (जनवादी प्रक्रिया के जरिए चुने हुए प्रतिनिधि)। मान्यताप्राप्त यूनियनों की संख्या इस खास उद्योग में ट्रेड-यूनियन आन्दोलन के पैटर्न (रूप) से तय होनी चाहिए। यूनियनों की मान्यता का सवाल यूनियन बनाने के अधिकार से अलग करके देखा जाना चाहिए (इस मामले में किसी भी अन्य शर्त का विरोध होना चाहिए)।

केवल कड़वे संघर्षों व कुर्बानियों के जरिए ही भारतीय मज़दूर वर्ग अपने अधिकार छीन सकता है और मज़दूरों की सामूहिक कार्यवाई के नियम की ज़गह कोई भी कानून नहीं ले सकता, बल्कि मज़दूर वर्ग के पक्ष में किसी भी कानून का इस्तेमाल केवल जन-कार्यवाई के जरिए ही हो सकता है।

इस परिप्रेक्ष्य से, भारतीय मज़दूर वर्ग के जनवादी अधिकारों में कटौती के जरिए ट्रेड-यूनियन आन्दोलन को भारतीय बड़ी पूँजी के मातहत लाने की कोशिशों के खिलाफ हमें उसके बीच एक आम राय विकसित करनी होगी।

# 1991 का अन्तरिम बजट : एक टिप्पणी

कांग्रेस (आई) का हुक्म बजाते हुए जब यशवन्त सिन्हा ने संसद में नियमित पूर्ण बजट की जगह लेखानुदान प्रस्तुत किया, तो वह ऐसा करने वाले भारतीय संसद के आठवें वित्त मंत्री। जबकि संसद अपनी अन्तिम साँसें भर रही थी, आइ० पी० एफ० के सिवा सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक होकर ताबड़तोड़ ढंग से लेखानुदान पास कर डाला। इस अन्तरिम बजट को वैसे तो मात्र एक लेखानुदान बताया जा रहा है, लेकिन दरअसल इसमें समूची भारतीय अर्थव्यवस्था को पश्चिमी बहुराष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित विश्व—बैंक आइ० एम० एफ० गठजोड़ के माडल के अनुरूप ढाल देने की समूची बुनियाद मौजूद है। वाशिंगटन में बैठे आइ० एम० एफ० के अधिकारियों ने संतोष की डकार भरते हुए कहा, "हम प्रसन्न हैं कि सरकार ने मुद्राकोष के सुझावों को माना है और अन्तरिम बजट में उन्हें लागू किया है।" आइ० एम० एफ०—विश्व बैंक ऋण कुछ शर्तों से बंधा हुआ है और वर्तमान बजट में इन शर्तों को साफ-साफ देखा जा सकता है। यहाँ हम लेखानुदान तथा आइ० एम० एफ०—विश्व बैंक की शर्तों की कुछ प्रमुख बातों का एक साथ जिक्र कर रहे हैं—

(1) सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जाम।

शर्त थी : वेतन जमा करो। वेतन में कोई वृद्धि नहीं। अगर वेतन वृद्धि लागू हो तो उसे उच्चतर उत्पादकता से जोड़ा जाये। भारी छँटनी के जरिए खर्च में कटौती की जाये।

(2) राज्य-संस्थाओं के 1.38 अरब डालर के निवेश में भारी कमी।

शर्त : निवेश जाम करो।

(3) निजीकरण : सार्वजनिक क्षेत्र के चुनिंदा उपक्रमों की 20 प्रतिशत इक्विटी की बिक्री, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र में (पारस्परिक) सहायता कोष तथा वित्तीय अथवा निवेशीय संस्थायें निर्मित की जा सकें। बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के नीजिकरण के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

अब शर्त देखिए : सरकार और व्यापार को अलग-अलग करना; सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों, व्यापारिक एवं वित्तीय संस्थाओं का निजीकरण। विश्व बैंक ने तो भारतीय स्टेट बैंक का निजीकरण कर देने तक का सुझाव दे डाला है। खाद्य सामग्रियों तथा उर्वरकों को दी जाने वाली सब्सिडी 9,550 करोड़ रुपये से घटाकर 8,616 करोड़ रुपये की गई (अर्थात् 934 करोड़ रुपयों की कटौती।)

(4) कुल बजट घाटा 9977 करोड़ रुपये तक जा पहुँचा। बजट घाटा कम करने तथा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कम्पनी कर एवं आय कर की दरें बढ़ा दी गई हैं।

आइ० एम० एफ० का सुझाव था कि 1991-92 में वित्तीय घाटा घटाकर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 6.5 प्रतिशत तक ला दिया जाये।

(5) विश्व बैंक की एक और शर्त रुपये के अवमूल्यन के सन्दर्भ में थी। चन्द्रशेखर सरकार ने इस मुद्दे पर किस कदर से देश को बेचा है, फिक्की की एक ताजा रिपोर्ट से इस खौफनाक सच का पर्दाफाश हो गया है। इस अध्ययन के अनुसार एक वार्षिक आधार पर, चार प्रमुख देश—अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी तथा जापान की मुद्राओं की तुलना में, रुपये का 30 से 60 प्रतिशत अवमूल्यन हुआ है। यह पिछले चार वर्षों के रुपये के 9 से 15 प्रतिशत वार्षिक अवमूल्यन की तुलना में काफी ज्यादा है। 1985 के बाद से अवमूल्यन की एक धीमी और सतत प्रक्रिया जारी है। रुपये का अपने वास्तविक मूल्य से 50 प्रतिशत से अधिक अवमूल्यन हो चुका है।

हम इस टिप्पणी के अन्त में विश्व बैंक द्वारा अपने एक गोपनीय दस्तावेज में प्रस्तुत कुछेक अन्य सुझावों का उल्लेख करेंगे, जो स्वयं स्पष्ट है।

"विश्व बैंक ने कहा है कि सुधार प्रक्रिया के अभिन्न अंग के बतौर भारतीय उद्यमों को अधिक लचीलेपन की जरूरत होगी ताकि वे व्यापारिक सुधारों से बने अत्यन्त प्रतियोगी वातावरण में काम कर सकें। इस वांछित लचीलेपन को लाने के खातिर सरकार को औद्योगिक विवाद कानून में ऐसे संशोधन करने होंगे ताकि बीमार उद्यमों को बन्द करने व पुनर्गठन करने में मदद मिले तथा श्रम-शक्ति को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप काट-छाँट करने की प्रबन्धन को अधिक स्वायत्तता मुहैया हो सके। कार्य-परिस्थितियों, रोजगार-सुरक्षा तथा स्वास्थ एवं मुआवजे के बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देशन की व्यवस्था के साथ, इसको हासिल किया जा सका।

आबकारी शुल्क एवं लघु उद्योगों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को भी इसे समाप्त कर देना चाहिए ताकि फर्में जो लघु उद्योग सीमा के पार विकास करने वाली हों, वे दण्डित न हो·····सरकार को एम० आर० टी० पी० प्राविधानों को लागू करने में उदारता बरतनी चाहिए तथा एम०आर०टी०पी० उद्देश्यों के हेतु, बड़े उद्योगों को पुनर्परिभाषित करते हुए एक अन्तिम परिभाषा देने की जगह, आपेक्षिक रूप से परिभाषित करना चाहिए।"

(हिन्दुस्तान टाइम्स—फरवरी, 25)

हमारे दिल्ली संवाददाता द्वारा

# पूंजी के आक्रमण के खिलाफ भारतीय मजदूर-वर्ग का संघर्ष जारी है।

अन्तरिम बजट पर अपनी तीव्र प्रतिक्रिया जाहिर करते हुये केन्द्र सरकार के कर्मचारी महासंघ के चेयरमैन एस० मधुसूदन ने कहा "महंगाई-भत्ते के भुगतान को बर्फ में लगा देने के सरकार के तमाम प्रयत्नों का कर्मचारियों द्वारा पुरजोर विरोध किया जायेगा, साथ ही इसके भविष्यनिधि में मिला दिये जाने को भी स्वीकार नहीं किया जायेगा।"

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों में महंगाई-भत्ते के सम्बन्ध में बरती जा रही ढ़िलाई के कारण वित्त मंत्रालय के खिलाफ काफी रोष था। और जब कभी उनको मौका मिलता है वे वित मंत्रालय—जो कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बजट का नियन्त्रक है, के खिलाफ अपना यह रोष जाहिर करते रहते हैं।

जनवरी 1, 1991 को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को पिछले वर्ष ही दिया जा चुका है। किन्तु चतुर्थ वेतन आयोग की रिपोर्ट में यह घोषित किया गया था कि केन्द्रीय कर्मचारी डी-ए जाम से अलग नहीं रखे जा सकते हैं।

तो इस तरह, यह विभेदीकरण, धोखेबाजी तथा शासक वर्ग के बोझ को कामगार जनता के कंधों पर डाल देने के ज्वलंत, उदाहरण हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों के 15 लाख से भी अधिक श्रमिक एवं 2 लाख ऑफिसर, इन्डस्ट्रीयल डी० ए० पैटर्न के स्थान पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू पैटर्न के लिये लगातर संघर्ष करते आ रहे हैं।

औद्योगिक डी० ए० ढ़ाँचे के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी० पी० आई०) में एक प्वाइंट की बढ़ोतरी होने पर डी० ए० एक निश्चित दर से बढ़ता है। जबकि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू ढांचे के मुताबिक रु० 3500/=तक प्रति माह मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों को कीमत-सूचकांक (प्राइस इंनडेक्स) में वृद्धि की सौ फीसदी भरपाई की जाती है।

सेन्ट्रल ट्रेड़-यूनियनों के मुताबिक राष्ट्रीय-मोर्चा सरकार ने स्लैब-प्रणाली शुरू की थी। जिसके मुताबिक रु० 3500/=तक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये कीमत-वृद्धि की सौ फीसदी भरपाई की जानी थी और उसके ऊपर क्रमश: भरपाई की मात्रा कम होती जाती है। परन्तु अगली सरकार ने खाड़ी-युद्ध संकट के नाम पर इस मुद्दे से अपना हाथ पीछे खींच लिया।

आई० एम० एफ० और विश्व बैंक के आदेश के मुताबिक भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के इक्विटि शेयरों को बेच देने पर आमादा है। और इस सम्बन्ध में बड़े औद्योगिक घरानों के साथ समझौता-वार्ता नाजुक दौर में पहुँच चुकी है। गैर-सरकारीकरण और अन्धाधुन्ध कंप्यूटरीकरण के विरोध में लगभग 8 लाख बैंक-कर्मचारियों की अप्रैल माह में होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारियां चल रही है।

सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों—जिसमें भारतीय स्टेट बैंक भी सम्मलित है के अपने कुल इक्विटि शेयरों के 49 प्रतिशत को बेच देने के प्रस्ताव का कर्मचारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। हाल में विश्व बैंक के दबाव में आकर सरकार ने आई० डी० बी० आई०, आई० एफ० सी० एवं आई० सी० आई० सी० आई० जैसी वित्तीय संस्थाओं की हिस्सेदारी में गैर-सरकारी प्रवेश को इजाजत दे दी है।

विश्व बैंक का इस बात के लिए भी दवाब रहा है कि—वरियता वाले क्षेत्रों को दिये जाने वाले कर्जों में भारी कटौती की की जानी चाहिये, क्योंकि इसने बैंकों को वित्तीय रूप से अपंग बना दिया है। लेकिन ट्रेड यूनियन नेताओं का आरोप है कि बड़े उद्योगपतियों को राजनीति से प्रेरित हो कर दिये जाने वाले कर्जे और रिजर्व बैंक—जो कि केन्द्रीय बैंकिग प्राधिकरण है, का अकुशल निरीक्षण ही इस स्थिति के लिये जिम्मेवार हैं।

रिजर्व बैंक के 82% कर्मचारियों ने सी० पी० एफ० के बदले में पेन्सन देने के मैनेजमेंट के फार्मूले को ठुकरा दिया है। कर्मचारियों की मांग है कि रिटार्यमेंट के बाद मिलने वाले तीसरे लाभ के रूप में स्टेट बैंक कर्मचारियों की भांति उन्हें भी पेन्सन दी जाए। साथ ही इसको रिटार्यमेंट के बाद मिलने वाले लाभ के लिए हिसाब में लिए जाने वाले कुल वेतन लागत का 23% होना चाहिये न कि वर्तमान में प्रचलित 13 प्रति०।

हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अनाज की ढुलाई करने वाले मजदूर विभागीयकरण की मांग को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं। जिसके कारण हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम का काम-काज पिछले तीन सप्ताह से ठप पड़ा हुआ है। हड़ताली मजदूरों ने परिसरों में ताले डाले और वस्तुत: दफ्तरों पर कब्जा कर लिया। जल्द ही गेहूँ की फसल पहुंचने वाली है, लेकिन गोदामों में कोई जगह बाकी नहीं है, क्योंकि मजदूरों के आन्दोलन के कारण अनाज बाहर नहीं भेजा जा सका।

सन् 1985 में हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में स्थित भारतीय खाद्य निगम के 22 डिपों में ठेका—मजदूर प्रथा समाप्त करने के लिये एक अधिसूचनों जारी की। इसके बाद 1986 में

संसद ने एक कानून पास किया, जिसमें कहा गया है कि एफ० सी० आई० से सम्बन्धित कानूनों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह केन्द्र सरकार का उद्यम है।

लेकिन मजदूरों ने ठेका-मजदूरों को अनाज की ढुलाई नहीं करने दी।

एफ० सी० आई० ने अधिसूचना को रद्द करने के लिये पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका नामंजूर कर दी। बाद में खण्ड पीठ और अन्त में सुप्रीम-कोर्ट ने भी अपील खारिज कर दी।

इस पृष्ठभूमि में, हरियाणा एफ० सी० आई० के 6000 मजदूर अपने हक को छीनने के पक्के इरादे से डटे हुए हैं। आन्दोलन के नेता मार्कण्डेय मिश्रा के अनुसार एफ० सी० आई० के पदाधिकारी विभागीयकरण का विरोध इस कारण से कर रहे हैं कि ठेका—मजदूर प्रथा को बरकरार रखने में ही उनके अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति होती है।

ए० आई० आर० ई० सी०—जो कि रेलवे की 13 श्रेणियों की अखिल भारतीय ऐसोसियेशन से मिलकर बना केन्द्र है ने 13 मार्च को दिल्ली में एक विशाल प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य मांगे—1980-89 के दौरान दण्डित मजदूरों की बहाली व रेलवे बोर्ड द्वारा ए० आई० आर० ई० सी० को मान्यता प्रदान करना थी।

पं० बंगाल के 1.6 लाख जूट मजदूरों ने 11 मार्च को निम्नलिखित मांगों को लेकर एक दिन की हड़ताल की :—

—जूट उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाए, जिसमें कच्चे जूट की खरीददारी व जूट से बनी वस्तुओं का व्यापार भी सम्मलित हो।—कृत्रिम पैकिंग सामग्री पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाना। 1984 व 1988 के त्रिपक्षीय समझौतों पर पूर्ण कार्यान्वियन — इ० एस० आई०, पी० एफ०, ग्रेचुटी और बोनस आदि के बकाया भुगतान की वसूली की ओर सकारात्मक प्रयत्न करना।

बी० एम० एस० को छोड़कर बाकी सभी ट्रेड यूनियनें इसमें शामिल हुईं।

भारत भर में फैली आंगनवाड़ी की 5 लाख महिला कर्मचारी एक लम्बे अर्से से अपनी सेवायें नियमित करवाने की मांग कर रही हैं। हाल ही में कई हजार आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने दिल्ली में एक जुझारु रैली का आयोजन किया। लोक-सभा स्पीकर को दिये गये अपने मांगपत्र में उन्होंने केन्द्र सरकार से न्यूनतम वेतन को सुनिश्चित करने, सेवायें नियमित करने, व पदोन्नति के अवसर आदि सुविधाओं की मांग की है।

———— × ————

## क्रान्तिकारी ट्रेड यूनियन आन्दोलन की ओर

# तमिलनाडू

तमिलनाडू की दो खास विशिष्टताएँ हैं—पहली, इस तथ्य के बावजूद कि यहाँ मज़दूर वर्ग के बीच द्रविड़ पार्टियों का काफ़ी मज़बूत आधार है, ट्रेड-यूनियन आन्दोलन के भीतर सुधारवादी धारा ही हावी है जिसका प्रतिनिधित्व एटक/सीटू करता है। और दूसरी, ट्रेड-यूनियन आन्दोलन में सुधारवादी एवं क्रांतिकारी धारा के बीच संघर्ष की एक लम्बी पृष्ठभूमि है। 60 के दशक में मद्रास में सी० पी० आई० (एम) व सीटू के क्रांतिकारी हिस्से के नेतृत्व में चला मजदूर आन्दोलन जो कि बाद में नक्सलबाड़ी के पक्ष में खड़ा हुआ, आज भी प्रेरणा का स्रोत्र है।

इस पृष्ठ भूमि में, हम ए० आई० सी० सी० टी० यू के नेतृत्व में क्रांतिकारी ट्रेड-यूनियन आन्दोलन विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा काम-काज विभिन्न स्तरों पर राज्य के ग्यारह जिलों में फैला हुआ है। डी० एल० यू (डेमोक्रेटिक लेबर यूनियन), डी०एच०एल०यू (डेमोक्रेटिक होटल लेबर यूनियन) और एल०एल०जी०डी०एल० यू) (लेदर एवं लेदर गुड्स डेमोक्रेटिक लेबर यूनियन) हमारे ट्रेड-यूनियन कार्य के मुख्य स्तम्भ है।

डी० एल० यू० आम मजदूरों की यूनियन है जो कि मुख्यतः इंजीनियरिंग उद्योग की छोटी व मझौली इकायों में कार्यरत है। इसका उच्च स्तर से लेकर फैक्टरी स्तर तक एक कामकाजी ढ़ाँचा है। यूनियन के पास राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नियमित ढ़ाँचा है। यूनियन हमेशा मजदूरों की पहलकदमी और भागीदारी खोलने तथा मजदूरों की एकता को मजबूत करने के लिए प्रयासरत रहती है।

**एक खास अनुभव :—**

मद्रास के अंबातुर औद्योगिक क्षेत्र में डाईकास्ट सर्विस नामक एक फैक्टरी है। यहां यूनियन पर हमारा नियन्त्रण है। यहां के मजदूरों ने प्रबन्धन के समक्ष एक मांग पत्र रखा था के साथ बात-चीत विफल रही और प्रतिक्रया स्वरूप प्रबन्धन किन्तु प्रबंधन ने ताला बन्दी घोषित कर दी। प्रबन्धन के इस हमले का जवाब देने के लिए मजदूर दृढ़ था और अपनी वर्गीय एकता का प्रदर्शन

करते हुए मजदूरों ने आन्दोलन व कानूनी तौर तरीकों को मिलाते हुए 30 दिन तक संघर्ष जारी रखा और अन्ततः प्रबन्धन को फैक्टरी खोलने के लिए मजबूर कर दिया।

तत्पश्चात्, प्रबन्धन ने पेशेवर यूनियन तोड़कों के जरिये यूनियन को तोड़ने व मजदूरों को विभाजित करने का प्रयास किया किन्तु वह इस प्रयास में पूर्णतया विफल रहा। इसके विपरीत मजदूरों ने अपने माँग पत्र का दबाव बनाये रखने के लिए यूनियन के नेतृत्व में ओवर टाइम का बहिष्कार किया। इस स्थिति का सामना करने के लिए प्रबन्धन ने इतवार के दिन ठेका-मजदूरों को काम पर लगा दिया। उसी दिन हमारी यूनियन ने वहां एक एक राजनीतिक क्लास का आयोजन किया तथा उस क्लास में 200 मज़दूरों को संघर्ष आगे बढ़ाने के लिए गतिशील किया गया। प्रबन्धन द्वारा मज़दूरों के खिलाफ रचे जा रहे षड्यन्त्र की खबर मिलने के साथ ही आयोजित की गई क्लास आन्दोलन को और अधिक तेज़ करने का माध्यम बन गई। जब मज़दूर जुझारु तेवर लिए फैक्ट्री गेट पर पहुँचे, ठेका मज़दूर भाग खड़े हुए। स्वभावतः काम बन्द हो गया।

अगले दिन, प्रबन्धन ने नेताओं पर कानून उल्लंघन तथा अन्य झूठे इल्ज़ाम लगाते हुए उनके खिलाफ पुलिस के पास शिकायत दर्ज़ की। इसके अलावा मज़दूरों को धमकाने के लिए प्रबन्धन ने गुण्डों को इकट्ठा करना शुरु किया। मज़दूरों ने प्रबन्धन के इस आक्रामक रुख के खिलाफ ईंट का जवाब पत्थर से दिया। हमें यह भी ख़बर मिली कि हमारे नेतृत्वकारी साथियों पर रात की पाली में हमला होगा। इसके जवाब में हमने तैयारी स्वरूप एक तरफ पुलिस के पास शिकायत दर्ज की और रात की पाली के मज़दूरों की सुरक्षा के लिए अन्य फैक्ट्रियों के मज़दूरों को भी गतिशील किया। रात दो बजे सैकड़ों मज़दूर फैक्ट्री गेट पर आकर एकत्र हो गए। परिणामस्वरूप गुण्डों के हौसले पस्त हो गए और वे वहाँ से भाग खड़े हुए। रात ही में मज़दूरों ने जमकर नारेबाजी की और फिर एक गेट मीटिंग का आयोजन किया। अगले ही दिन दोपहर में फिर एक गेट मीटिंग आयोजित की गई तथा प्रबन्धन का पर्दाफ़ाश करते हुए नोटिस एवं पोस्टर ज़ारी किए गए। गेट मीटिंग जिसमें अन्य फैक्ट्रियों के मज़दूरों समेत 400 मज़दूर शामिल थे, अत्यन्त ही प्रेरणादायक थी। मीटिंग के बाद संघर्षरत मज़दूर जुलूस की शक्ल में पुलिस स्टेशन पहुँचे और पुलिस से प्रबन्धन की लम्पट कार्यवाहीयों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाई करने को मांग की। जल्द ही प्रबन्धन मज़दूरों के संघर्ष के सामने झुक गया और फिर तुरन्त ही मज़दूरों के पक्ष में मांग पत्र पर सम्मानजनक एवं लाभदायक समझौता सम्पन्न हुआ।

यह उदाहरण एक छोटे उद्योग में ट्रेड यूनियन आन्दोलन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। जैसे—आन्दोलन व कानूनी लड़ाई को मिलाना, आक्रामक प्रबन्धन पर दबाव डालने के लिए हड़ताल के अलावा आन्दोलन के अन्य रूपों (जैसे ओवर-टाइम का बहिष्कार) को अख्तियार करना, गुण्डों की धमकियों के खिलाफ मज़दूरों की पहलकदमी खोलने के ज़रिए प्रतिरोध संगठित करना और सबसे अधिक एक छोटे उद्योग के मज़दूरों के पक्ष में अन्य फैक्ट्रियों के मज़दूरों को गोलबन्द व गतिशील करना।

**एक अन्य अनुभव** :—ए०आई०सी०सी० टी० यू (एक्टू) से सम्बन्द्ध एल० एल० जी० डी० एल० यू० तमिलनाडू के उत्तरी आर्काट जिला के चमड़ा उद्योग में उभरती हुई यूनियन है। इस इलाके में मज़दूरों की औसतन दिहाड़ी रु० 6 दिन थी। किन्तु हमारी यूनियन के गठन और तत्पश्चात दो सफल वार्ताओं के बाद से दो फैक्ट्रियों में मज़दूरों का वेतन बढ़ कर रु० 1500/ महीने हो गया। हाल ही में हमने एक ही प्रबन्धन की दो अन्य यूनिटों में अपनी यूनियन स्थापित की। किन्तु प्रबन्धन ने यूनियन को मान्यता देने से इन्कार कर दिया, फैक्ट्री में हिंसा भड़काई और फिर तालान्दी कर दी। मज़दूरों के 40 दिनों के लम्बे संघर्ष के बाद प्रबन्धन ने बाध्य होकर फैक्ट्री को पुनः खोल दिया, किन्तु 15 मज़दूरों को नौकरी से सस्पेंड कर दिया और फैक्ट्री में मज़दूरों के बीच उचित कार्य वितरण नहीं किया। फलस्वरूप मज़दूर फिर आन्दोलन की राह पर बढ़ गए ओर फैक्ट्री के अन्दर बने रहते हुए काम बन्द कर दिए जिसके चलते अन्ततः फैक्ट्री में फिर से ताला लग गया।

हमारे बढ़ते हुए असर और मध्ययुगीन उत्पीड़न के खिलाफ मज़दूरों के प्रतिरोध को विकसित करने के हमारे दृढ़ प्रयासों को देखते हुए इस इलाके के अति मुनाफा कमाने वाले चमड़ा उद्योग के मालिक तिलमिलाहट में हम लोगों के दमन पर उतारु हो गए हैं। स्वभाविक रूप से, अपने इस उद्देश्य के लिए वे माफिया, पुलिस और अधिकारियों को खरीदने के लिए भारी मात्रा में पैसा बहा रहे हैं। माफिया अगुआ मज़दूरों को डरा-धमका रहा है और पुलिस ने तो 50 मज़दूरों को झूठे मुकद्मों में गिरफ्तार कर भी लिया है तथा वह उन्हें प्रताड़ित कर रही है। उधर प्रबन्धन इस संघर्ष को साम्प्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रहा है और साथ ही हमारे ट्रेड-यूनियन नेताओं को मारने की साजिशें रचते हुए उनके खिलाफ झूठी निन्दा से भरा अभियान चला रहा है।

हाल ही में, हमारे एक नेतृत्वकारी साथी के सस्पेंशन के खिलाफ 200 महिला मज़दूरों ने फैक्ट्री में बने रहते हुए काम बन्द कर दिया। यहाँ तक कि पाली खत्म होने के बाद भी वे फैक्ट्री से बाहर निकलने को तैयार नहीं हुईं। उनके रिश्तेदार भी उन्हें इस काम के लिए राज़ी नहीं कर पाए। अन्त में बन्दूकों से

लैस महिला पुलिस फैक्ट्री में घुसी और हड़ताली महिला मज़दूरों को फैक्ट्री से जबरन बाहर खींचा और पुलिस वैन में डाल कर बन्द कर दिया। पुलिस थाने पहुंच कर महिलाओं ने अपनी गिरफ्तारी की माँग की और पुलिस के खिलाफ जमकर नारे-बाजी की। अन्ततः यूनियन नेतृत्व के कहने पर वे वैन से नीचे उतरीं।

इस तरह नार्थ आर्कट के चमड़ा उद्योग में मज़दूरों का एक जबरदस्त संघर्ष उभर रहा है—एक तरफ, मालिक-माफिया पुलिस-अधिकारी गठजोड़ है तो दूसरी तरफ, आन्दोलनरत सचेत मज़दूर। इंटक और सीटू मात्र तमाशबीन बन तमाशा देख रहे हैं और वस्तुतः प्रबन्धन के ही हाथ मजबूत कर रहे हैं। इस चुनौती का ठीक से मुकाबला करने के लिए हमारी यूनियन निम्न-लिखित बातों पर ज़ोर दे रही है :—

1. व्यापक मज़दूरों से नेतृत्व का अलगाव न हो।
2. व्यापक मज़दूरों को दिशा देने के तरीके।
3. संघर्ष के असरदार तरीकों और आन्दोलन व कानूनी लड़ाई को मिलाने के तरीकों पर।
4. मालिकों के आपसी और प्रबन्धन के बीच मौजूदा अन्तर-विरोधों को तेज़ करने के बारे में।
5. कुछ प्रतीकात्मक सफलता की गारन्टी पर
6. मज़दूरों के समर्थन में इलाके की अन्य सामाजिक शक्तियों को गतिशील करने के बारे में।
7. और सबसे ऊपर, अपने ट्रेड यूनियन आधार का रचनात्मक तरीकों से राजनीतिकरण।

वी० शंकर

———— × ————

कुछ और

## तथ्य खुद बोलते हैं

एशिया प्रशान्त क्षेत्र के आर्थिक आयोग की एक ताजा समीक्षा में 'यह दावा किया गया है कि "उद्योगों के लिए आयातित सामग्री में उदार नियमों के आने तथा निजी क्षेत्र की अब बढ़ी हुई भूमिका के कारण भारतीय उद्योग हाल के वर्षों में मजबूत होकर उभरा है," यद्यपि 1989 में इसका विकास धीमा पड़ गया।

प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री, गाल ब्रेथ ने इन तमाम वर्षों में हुए आर्थिक विकास की तारीफ की है जिसने "भारतीय उद्यमियों के एक शक्तिशाली वर्ग को जन्म दिया है।" (टाइम्स आफ इन्डिया को दिए गए एक साक्षात्कार में)

× × ×

एक ताजा अध्ययन ने यह उजागर किया है कि "अगर मुद्रास्फीति में 1986 के बाद हुई वृद्धि को जोड़कर हिसाब लगाया जाए तो पता चलता है कि देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 47 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गई है"

× × ×

15 दिसम्बर 1990 को थोक मूल्य सूचकांक में 85.3 प्वाइन्ट का उछाल आया (1981 को 10 प्वाइन्ट मानने पर) तथा मुद्रा स्फीति बढ़कर 11.4 प्रतिशत हो गई है (समूचे दशक की सर्वाधिर),

× × ×

भारतीय पेट्रो-रसायन कारपोरेशन लिमिटेड (आइ पी सी एल) ने ईरान नेशनल पेट्रो रसायन कम्पनी के साथ संयुक्त कारोबार के एक समझौते में हस्ताक्षर किया है जिसके अनुसार वे व्यापार, प्रशिक्षण, सड़क तथा ईरान में डाउन स्ट्रीम पेट्रोरसायन परियोजनायें लगायेंगे।

अपनी इक्विटी का 43 प्रतिशत निजी पूंजी को बेच देने के बाद (किसी बड़े सार्वजनिक उद्यम में पहली बार), यह आइ पी सी एल का पहला करोबार है।

प्रोफेसर सी एन आर राव, **इन्डियन इन्स्ट्रीट्यूट आफ साइंस** के निदेशक ने योजना आयोग की सदस्यता से त्यागपत्र देने का निर्णय किया। उन्होंने इस बात की निन्दा की कि "भारतीय उद्योगों ने विज्ञान एवं तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है और जो तकनीक वह आज इस्तेमाल कर रहा है, वह आयातित ज्ञान है।" उन्होंने मांग की कि वैज्ञानिक शोध संस्थाओं में तथा देश के अन्य हिस्सों में वैज्ञानिकों की प्रतिभा-हनन की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए।

× × ×

अमेरिकी कांग्रेस के बजट कार्यालय के निदेशक के अनुसार, खाड़ी युद्ध में 45 बिलियन डालर का खर्च आया है जबकि जापान तथा जर्मनी समेत मित्र देशों द्वारा कुल 53.5 बिलियन डालर की सहायता देने का वादा किया गया है।

अमेरिका कुवैत के पुनर्निर्माण के लिए 100 बिलियन डालर लागत वाली 'मार्शल योजना' तैयार करने में लगा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समूचे यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए बनी मार्शल योजना में खर्च धनराशि से यह 40 बिलियन डालर अधिक है। स्पष्टत: इस ठेके का 70 प्रतिशत हिस्सा अमेरिका हड़प लेगा।

× × +

बजट घाटे तथा कागज की मुद्रा के बढ़े हुए परिचालन से निपटने के लिए, एस एल राव, नेशनल काउन्सिल आफ अप्लाइड इकोनामिक रिसर्च के डाइरेक्टर जनरल, ने निम्न सुझाव दिए हैं :—

1. महंगाई भत्ते तथा बोनस की अदायगी करते हुए 1979 जैसा वेतनजाम लागू करना। लेकिन शेयर धारकों के लाभांश पर कोई जाम न लगाया जाय।
2. डाक सेवाओं, शिक्षा तथा रेल यात्री टिकटों पर कोई सब्सिडी न दी जाये।
3. सरकार की भूमिका तथा अधिकार-क्षेत्र में कमी तथा इससे हुई अतिरिक्त श्रम-शक्ति की छंटनी।
4. सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों की खुले बाजार में बिक्री की जाए तथा सरकारी शेयर होल्डिंग में भारी कमी की जाए।
5. कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली सब्सिडी में भारी कटौती

× × ×

राज्य सभा में 5 मार्च को की गई एक सरकारी घोषणा के अनुसार 1988-89 में टाटा ने सर्वाधिक मुनाफा कमाया। उसने टैक्स अदायगी से पूर्व 439.18 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया जबकि 301.5 9 करोड़ रुपये का मुनाफा करके बिड़ला दूसरे नम्बर पर रहा।

जबकि सकल सम्पत्ति के लिहाजन बिड़ला 6852.33 करोड़ रुपये की सम्पत्ति के साथ पहले स्थान पर रहा जबकि टाटा का स्थान 6779.79 करोड़ रुपये की परिसम्पत्ति के साथ दूसरा रहा।

× × ×

निजी क्षेत्र की तेरह निर्माण फर्मों ने मिलकर इण्डियन ओवरसीज कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का गठन किया है। यह कारपोरेशन एशिया अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका में बड़ी परियोजनायें चलायेगा। शुरु आती निवेश के बतौर उन तेरह फर्मों से प्रत्येक ने 10 लाख रुपये की इक्विटी-योगदान किया है।

स्वाभाविक तौर पर, खाड़ी में युद्धोत्तर पुनर्निर्माण उनका मुख्य आकर्षण है। भारतीय पूंजीपतियों की ओर से, सस्ते भारतीय श्रम के निर्यात के सर्वदेशीकरण की यह प्रथम कोशिश है।

× × ×

वित्तीय तथा आर्थिक समीक्षकों के एक ग्रुप के अध्ययन के अनुसार चालू वर्ष में देश का व्यापार घाटा रिकार्ड स्तर पर बढ़ते हुए 12000 से 14000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।

इस वर्ष निर्यात 28,000 करोड़ रुपये से अधिक बढ़ने की सम्भावना कम है जबकि चालू वर्ष का पहला मूल लक्ष्य, 40,000 करोड़ रुपये का तथा बाद में संशोधित लक्ष्य 36,000 करोड़ था।

लेकिन 1990-91 के दौरान आयात 40,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। यह सकल उत्पाद का 10 प्रतिशत होगा।

चालू वित्तीय वर्ष में वास्तविक सकल उत्पाद में वृद्धि 4.6 प्रतिशत होगी। 1991-92 में सकल उत्पाद का विकास और भी मन्द होकर 3.7 प्रतिशत होने की सम्भावना है।

× × ×

अम्बानी ने बांकुडा जिले में पी वाई ई इकाई, रिलाएन्स सिन्थेटिक फाइबर प्लांट, लगाने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है।

ज्योति बसु के पश्चिम बंगाल में अम्बानी समूह का यह प्रथम प्रवेश है। यह सस्ते ठेका श्रम का दायरा विस्तृत करने के लिए डाउन स्ट्रीम परियोजनाओं को विकसित करेगा।

———— × ————

# एक नयी परिस्थिति का सामना-पश्चिम बँगाल की एक जूट मिल

6 मार्च 1991 को ए० आई० सी० सी० टी० यू० से सम्बद्ध, सेन्ट्रल जूट मिल यूनियन, बजबज, पश्चिम बंगाल का द्वितीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ। एक्टू के महासिचव का० स्वपन मुखर्जी द्वारा लाल झण्डा फहराये जाने और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित के पश्चात् सम्मेलन प्रारम्भ हुआ।

सम्मेलन ने, जूट मिल जो कि बी० आई० एफ० आर० (औद्योगिक एवं वित्त पुनिर्माण बोर्ड) के उपचार के तहत ले आयी गयी है, की पेचीदगियों को रेखांकित करने का प्रयास किया और साथ ही बदलती हुई परिस्थितियों में वर्ग संघर्ष की अन्तर-वस्तु और प्रकृति को आत्मसात करने की कोशिश की।

16 अप्रैल 1986 को जूट मिल में ताला लग गया था और 6 मार्च 1987 को मिल पुन: चालू की गयी। इसी समय प्रबन्धन मिल के पुनर्जीवन की योजना लेकर बी० आई० एफ० आर० के समक्ष गया और प्रबन्धन व मौजूदा ट्रेड यूनियनों के बीच इस सम्बन्ध में समझौता सम्पन्न हुआ। मिल में उत्पादन पुन: शुरु होने के बाद कम्पनी के प्रबन्धन से पुराने प्रवर्तक हट गए। प्रस्तावित योजना के अनुसार जूट मिल को पुर्नजिवित करने के लिए अपनी सहकारी समिति के जरिए मजदूरों को 5 करोड़ रुपयों के सहयोग के जरिए इक्विटी पूँजी में बढ़ोत्तरी करना था। मजदूर नौ करोड़ रुपये का सहयोग कर चुके हैं। इसमें से 5 करोड़ इक्विटी पूँजी में जोड़े जायेंगे तथा शेष चार करोड़ रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में कम्पनी को दिए जायेंगे जो कि योजना से मुताबिक मजदूरों को पुन: वापस कर दिए जायेंगे। मौजूदा शेयर धारक इस मामले में सहमत हैं कि योजना के मुताबिक मौजूदा पूँजी की मात्रा के 90 प्रतिशत हिस्से पर वे अपना दावा छोड़ देंगे। यह भी कहा गया कि बी० आई० एफ० आर० द्वारा स्कीम मान लिए जाने पर कम्पनी मजदूरों की कोपरेटिव में तब्दील कर दी जावेंगी। बाद में पश्चिम बंगाल की सरकार 7 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करेगी जिसमें से 4 करोड़ रुपये इक्विटी पूँजी में जायेंगे और शेष 3 करोड़ रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिये जायेंगे।

हमारी यूनियन ने इस मामले का विरोध किया और इसे काले समझौते की संज्ञा देते हुए यह घोषित किया कि उद्योग को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी उठाना मजदूरों का काम नहीं है। साथ ही साथ मजदूरों के कंधों पर इस समस्त बोझ को डालने की इस चाल का हमने पर्दाफाश करने का प्रयास किया।

शुरुआत में हम यह समझने में नाकाम रहे कि धीरे-धीरे मिल का कापरेटिव में रूपान्तरण होना शुरु हो गया है और एक ही साँस में हमने प्रबन्धन और समस्त ट्रेड-यूनियनों पर हमला बोल दिया। किन्तु बाद में बदलती परिस्थिति के अनुसार हमने कदम ब कदम अपनी नीति को बदला और इस योजना में सरकारी हस्त-क्षेप व निरीक्षण की मांग उठाई। बी.आई. एफ. आर.योजना जिसके अनुसार इक्विटी पूँजी का 51 प्रतिशत मजदूरों को खरीदना था, के खिलाफ हमने राज्य सरकार द्वारा इक्विटी के बहुमत भाग को खरीदने की मांग उठाई। इस तरह बी० आई० एफ० आर० योजना के पूर्ण विरोध की पुरानी स्थिति से हम हट गए और इसकी जगह हमने इस योजना का आलोचनात्मक समर्थन करते हुए पुनर्जीवन की प्रक्रिया में मजदूरों के हितों की रक्षा करने पर जोर देने का प्रयास किया। इस तरह हम 1989 के समझौते के भागीदार बन गये और हमें बी० आई० एफ० आर० की कार्य-वाहियों में भाग लेने का मौका मिला।

अन्तत: बी० आई० एफ० आर० योजना की मन्जूरी मिल गयी, और हम इस मामले में आश्वस्त थे कि योजना में बहुत जल्द आगामी दिनों में नई पेचीदगियां उत्पन होंगी। इक्विटी में सरकार की 41.17 प्रतिशत, मजदूर/कर्मचारियों की 52.51 प्रतिशत, बैंक व वित्त संस्थाओं की 0.08 प्रतिशत तथा रिजर्व बैंक की 4.74 प्रतिशत भागीदारी निजी मिल्कियत के पुराने ढांचे को बदलेगा। प्रबन्धन में बदलाव और कम्पनी के मामलों की देख-रेख के लिए बोर्ड आफ डायरेक्टरस की व्यवस्था जिसमें एक चेयरमैन के अलावा तीन मजदूर प्रतिनिधि और राज्य सरकार व वित्त संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे, इस रूपान्तरण में शामिल है। स्वभावत:, एक नया गठजोड़ सामने आयेगा जो कि नए अन्तरविरोध और पेचीदगीयाँ उत्पन्न करेगा। अपनी यूनियन के सम्मेलन में हमने इस नये गठबंधन के आधार पर नये नारे, कार्यक्रम व संघर्ष के रूपों को सूत्रबद्ध किया। चूँकि इक्विटी का बड़ा भाग अब मजदूर/कर्मचारियों के हाथों में होगा इसलिए प्रबन्धन में बुनियादी जनवादीकरण और मजदूर प्रतिनिधियों का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण मांगों के रूप में सामने लायी गयीं। और अधिक, सम्मेलन ने मजदूरों को बोर्ड आफ डायरेक्टरस के दिन प्रतिदिन के कार्य कलापों, खासकर मजदूर प्रतिनिधियों पर पूरी नजर रखने के बारे में आगाह किया और यूनियन इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए विभिन्न रूप खोज ने की कोशिश में है।

यूनियन के उच्चतम निकाय के रूप में, सम्मेलन ने 39 सदस्यीय मजदूर कॉन्सिल का चुनाव किया। इस कॉन्सिल ने एक कार्यकारिणी का चुनाव किया। मजदूर कॉन्सिल हर महीने

में एक बैठक करेगी जिसके समक्ष कार्यकारिणी अपनी मासिक रिपोर्ट पेश करेगी।

इस तरह यूनियन वर्ग-संघर्ष की बदलती परिस्थितियों और नयी पेचीदगियों को आत्मासात करने का प्रयास कर रही है, जैसा कि ऊपर वर्णित एक खास बीमार उद्योग के उदाहरण में देखा गया।

×

पृष्ठ 1 का शेष

कल्याणकारी कदम, अब संसाधनों की बर्बादी समझे जा रहे हैं और रोजगार का अधिकार अथवा रोजगार की सुरक्षा अब महज काल्पनिक बातें रह गयी हैं।

किन्तु यह उपयुक्त परिघटना उस राजनीतिक संकट व उथल-पुथल को रोक पाने में कुछ नहीं कर पायी जिसने डेढ़ वर्ष के भीतर ही फिर एक बार भारत को आम चुनाव में जाने के लिए बाध्य कर दिया है। इसलिए चुनाव बुखार अपने ही तरीके से चढ़ना शुरु हो गया और आने वाले दिनों में यह चुनावी युद्ध सभी किस्म की कार्यवाहियों को अपने आगोश में समेट लेगा। किन्तु, वस्तुतः अस्थिर परिस्थिति में और सौ करोड़ रुपये की की मत पर लड़ेजाने वाले इस बहुकोर्णीय चुनावी युद्ध से जनता अभी तक कुछ खास आशा नहीं कर पा रही है।

इस तेजी से बदलती परिस्थिति व घटनाक्रम में हमारे लिये "लाल झण्डा" के अगले अंक की तैयारी करना खासकर विषयों का चुनाव करना काफी मुश्किल हो गया है।

जो भी हो, इस अंक में मौजूदा परिस्थिति की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों तथा उनके मजदूर वर्ग पर खास प्रभावों को प्रतिबिम्बित करने की हमने पूरी कोशिश की है किन्तु हमने इस अंक में चुनाव और ब इसमें मजदूर वर्ग की भूमिका को गहराई से विश्लेषित नहीं किया है। बल्कि आने वाले चुनाव युद्ध के सन्दर्भ में मजदूर वर्ग के बीच अपने अभियान को तेज करने के लिए हम मई अंक को पूरा प्रकाशित करने के बजाय दो पन्नों का मई दिवस विशेषांक प्रकाशित करेंगे।

जहाँ तक पिछले अंक का सवाल है उसे आमतौर पर मजदूर पाठकों के बीच व्यापक मंजूरी मिली हैं। किन्तु पाठकों ने पत्रिका के प्रकाशन की निरन्तरता व नियमितता के बारे में आशंकायें व्यक्त की है। हम खुद भी पाठकों की इन आशंकाओं से सहमत है। किन्तु यह आशंकाएँ तब तक नहीं मिटायी जा सकती हैं जब तक कि इस पत्रिका के वास्ते मजदूरों के बीच से वितरकों, एजेण्टों, लेखकों आदि का जाल विकसित नहीं हो पाता है। जहां तक हमें जान कारी है, इस कार्य के सन्दर्भ में कोई प्रगति होना अभी बाकी है। फलस्वरूप न तो आलोचना और न ही सुझाव के रूप में ही हमें पाठकों की ठोस राय प्राप्त हो पायी। इसलिये हमने इस अंक में कोई मनगढन्त, पाठकों का पन्ना' नामक स्तम्भ भी शुरू करने का प्रयास नहीं किया है।

मैं पूरी आशा करता हूँ कि आपके सहयोग से इस स्तम्भ को अगले अंक से शुरू किया जा सकेगा।

25-3-91 क्रान्तिकारी अभिवादन सहित

---

बदलती हुई राष्ट्रीय परिस्थिति तथा आगामी आम चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए ए० आई० सी० सी० टी० यू० के सदस्यता अभियान को जुलाई 1991 तक बढ़ा दिया गया है।

हमें आशा है कि भारतीय मज़दूर वर्ग अपनी उचित भूमिका निभाते हुए मौजूदा राजनीतिक संघर्ष में प्रभावशाली तरीके से दखल करके सदस्यता-विस्तार की नई संभावनाएँ पैदा करेगा।

—सी० पी० आई० (एम० एल०) के केन्द्रीय मज़दूर वर्ग विभाग द्वारा जारी।

---

## बी एण्ड सी मिल की तालाबन्दी के खिलाफ
## 16 अप्रैल को एक्टू, मद्रास लेबर यूनियन एवं आई-पी-एफ के नेतृत्व में मद्रास बन्द सफल
## 2000 कार्यकर्त्ता गिरफ्तार।

×